Visit us: krishichaupal.com

कृषि चौपाल

दिल्ली • वर्ष: 15 • अंक: 3-4 • जून-जुलाई 2022 (संयुक्तांक) • बीस रुपये मात्र

भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी है गाय

ड्रोन सेक्टर में भारत के भविष्य की बुनियाद

खेतीबाड़ी के साथ निरंतर आय के लिए बकरी पालन

ग्रामीण भारत में सबसे पहले काम आने वाली 'आशा दीदी'

आजादी की नींव में गुम हो गए जो जनआंदोलन

गेल (इंडिया) लिमिटेड

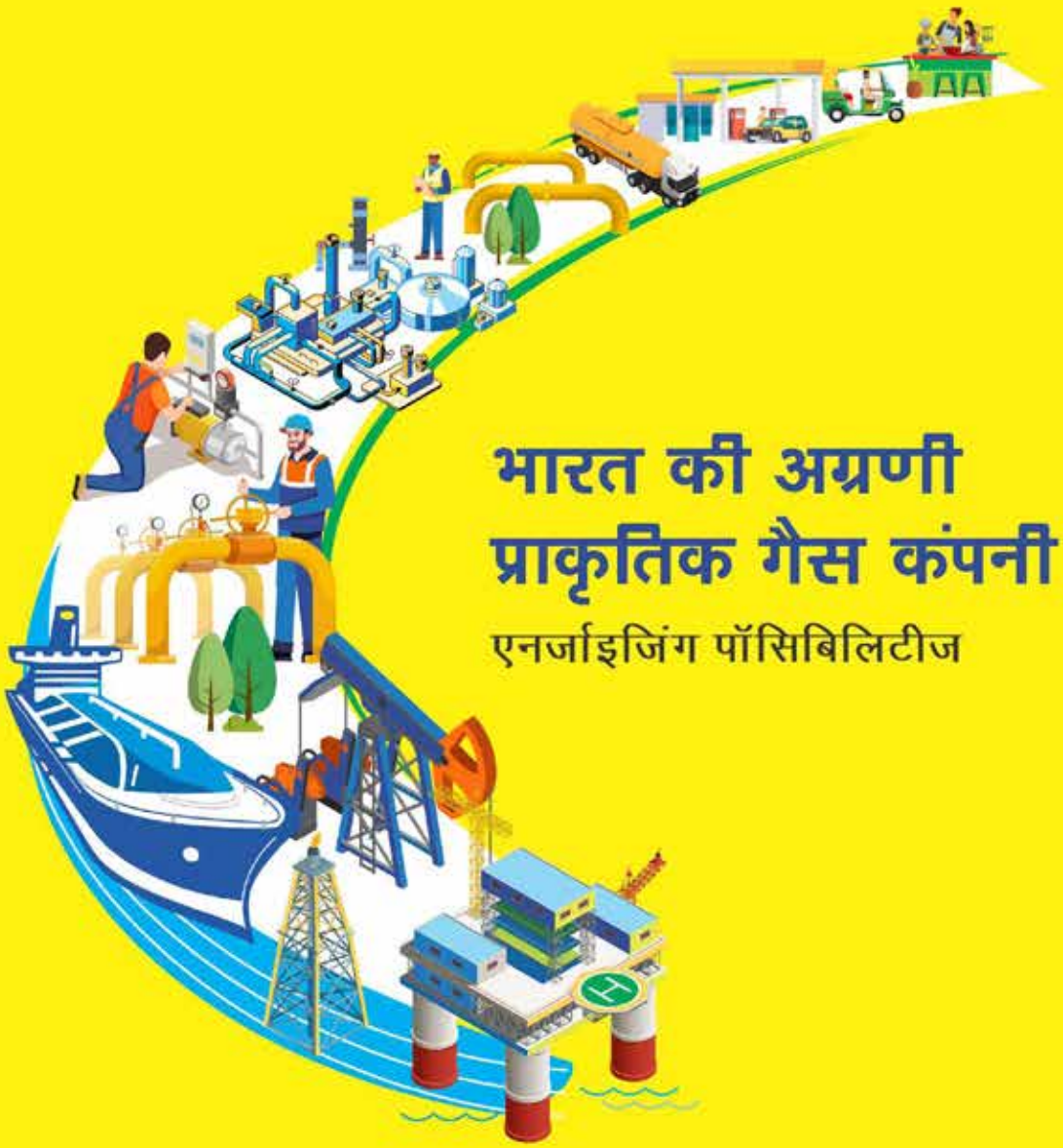

भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी

एनर्जाइजिंग पॉसिबिलिटीज

- देश में बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस में **53%** का योगदान
- भारत में कुल प्राकृतिक गैस संचरण पाइपलाइनों के **3/4** भाग का संचालन

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष : 15, अंक : 3-4

जून-जुलाई 2022 (संयुक्तांक)

मार्गदर्शक

गणि राजेन्द्र विजय जी महाराज

संपादक

महेन्द्र सिंह बोरा

विशेष संवाददाता

नीरज जोशी

घुमंतू संवाददाता

गणेश चंद्र पांडे

प्रचार-प्रसार

दलीप जीना

संपादकीय कार्यालय

सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
फोन नं. : +91-9354840377
ह्वाट्सऐप नं. : 9910406059
ईमेल : krishichaupal@gmail.com
वेबासाइट : krishichaupal.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नंबर-9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजेज, डी-93, सैक्टर-7, नौएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

कृषि चौपाल में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्तियां हैं। किसी भी तरह के विवाद का निपटारा दिल्ली/ नई दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

चित्र साभार: google.com

हरेला लोकपर्व को विश्व-पर्व तो बनना ही है

हरेला कभी कुमांऊ का लोकपर्व था। बाद में फूलदेई के साथ गढ़वाल में भी हरेला लोकपर्व बना। आज भी हरेला मनाने और इस दिन पेड़ लगाने और अनाजों के नवजात पौधों को सिर पर रखने का प्रचलन उत्तराखंड में है। कुछ दशक पूर्व तक इस दिन ज्यादातर फलदार पौधे और कलम लगाने का प्रचलन था। अब हरेला उत्तराखंड के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी तेजी से फैलने लगा है और विश्व महापर्व का रूप लेने लगा है। फलदार पौधों के साथ-साथ नीम, पीपल, बरगद, जामुन सहित लोग औषधीय पौधों को भी प्रोत्साहन देने लगे हैं। उत्तराखंड के लोकपर्व हरेले को मनाने और इस दिन वृक्ष लगाने के पीछे हमारे पूर्वजों और उत्तराखंड हिमालय में निवास करने वाले ऋषि-मुनियों की यह सोच रही होगी कि अगर हरेले को धर्म और परंपरा के साथ जोड़ दिया जाएगा तो यह संस्कार बन जाएगा और पीढ़ियों तक लोग हिमालय, प्रकृति और धरती को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर सहेजते-संवारते रहेंगे।

भारत की वैदिक परंपरा और संस्कृति का जिन लोगों ने भी अध्ययन किया है उन्हें वैश्विक रूप में यह ज्ञात है कि अंटार्कटिका का जो तापमान औसत माइनस 80 डिग्री होता था वह अब माइनस 2 डिग्री पहुंच गया है। उसे अगर कोई धरती पर रहने लायक परिस्थितियों में ला सकता है तो वह सिर्फ भारत का ज्ञान और उसकी वैदिक जीवन शैली है। इसलिए कभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे विख्यात पर्यावरणविद अल्गोर ने कहा था कि वैश्विक पर्यावरण संकट और तापमान परिवर्तन के खतरों से निपटना है तो हमें भारत की ओर देखना होगा। भारत की संस्कृति और पुरातन जीवनशैली में इसके समाधान निहित हैं।

मैती संस्था के संस्थापक पद्मश्री कल्याण सिंह रावत गढ़वाल में जिस संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं यानि नेग में पौधा, कुमांऊ में यह परंपरा कब से प्रचलन में है कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहां शादी के बाद पहली बार रजस्वला होने पर लड़की उसी तरह पेड़ की पूजा करती है जिस तरह वह शादी होने के बाद धारे, नौले या जलस्रोत को पूजती है। वैदिक परंपरा ने संस्कार को धर्म और परंपरा से जोड़कर उसे लोकाचार का एक अपरिहार्य अनुष्ठान बना दिया जो आज भी पाश्चात्य जीवनशैली के अंधानुकरण की होड़ में भी बची हुई है और अब धरती में मौजूद भौतिक संसाधनों के बेइंतहा दोहन से उपजी परिस्थितियों में विश्व को राह दिखा रही है।

भारत की वैदिक संस्कृति को वैज्ञानिक आविष्कारों से रिक्त मानकर वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिनः की उसकी अवधारणाओं पर प्रहार करने वाले लोग अब बारूद के ढेर पर खड़ी धरती के लिए अंटार्कटिका और हिमालय के तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के बीच ठंड मांग रहे हैं। इसलिए यूरोप, अमेरिका, जर्मनी और कनाडा को उत्तराखंड के हरेले में धरती की ठंड और हवा की सेहत नजर आ रही है। इसलिए हरेला कुमांऊ के लोकपर्व से उठकर वैश्विक पर्व का रूप ले रहा है। वैश्विक तापमान परिवर्तन के बड़े खतरों और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के जो आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं और कार्बन ट्रेडिंग जैसे जो व्यापार विकसित देश सामने रख रहे हैं उसका अर्थ स्पष्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में यदि भारी कमी नहीं की गई तो 2050 तक स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। अमेरिका इस संबंध में तय क्योटो सहित कई प्रोटोकॉल से पीछे हट चुका है। चीन का हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा है। ऐसे में भारत सौर ऊर्जा जैसे उपादानों और पनबिजली परियोजनाओं से काबर्न उत्सर्जन कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन कोयले पर निर्भरता कम किए बिना बड़ी भूमिका भारत भी नहीं निभा सकता।

महेन्द्र सिंह बोरा

भारत की संत परंपरा के संवाहक

भारतीय संत परंपरा की महानता को जीवनशैली में ढालने वाले संत। अहिंसा के पुजारी। आदिवासी समाज में अहिंसा का प्रचार-प्रसार कर उनके जीवन में परिवर्तन।

सुखी परिवार फाउंडेशन के प्रणेता

आज के तनाव भरे दौर में सहज-सरल जीवन जीने का प्रबोध देने वाले संत। एक सुखी-संपन्न और खुशहाल भारतीय परिवार संस्था की परिकल्पना के जनक।

शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने वाले संत। एक अशिक्षित, अपठित और उपेक्षित समाज के उद्धारक। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर बच्चों का भविष्य निर्माण।

सीमांत समाज तक स्वास्थ्य सेवा

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर विशेष प्रयास। समय-समय पर स्वास्थ्य शिविरों, रक्तदान शिविरों, मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन। कोरोना काल में प्रथम पंक्ति में रहकर जनसेवा के कार्य।

खेती-किसानी

'कृषि मूलम् जगत सर्वम्' को सूक्तवाक्य और किसान को अन्नदाता मानने वाले संत। कृषि कार्यों में विशेष रुचि। गौ-आधारित खेती के प्रबल पक्षधर। गौशाला का संचालन।

परम श्रद्धेय गणिवर्य डॉ. राजेन्द्र विजय जी महाराज साहब

प्रख्यात जैन संत

मनुष्य अच्छा मनुष्य बने, उसके अंदर मानवीय गुणों का विकास हो, वह नैतिक और चारित्रिक दृष्टि से उन्नत बने, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे, समष्टि के हित में अपना हित अनुभव करे - इस दृष्टि से गणिवर्य राजेन्द्र विजय जी महाराज ने 'सुखी परिवार अभियान' के रूप में एक समग्र आदर्श परिवार की परिकल्पना प्रस्तुत की है। यह व्यक्ति और परिवार से स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र की आधार-भूमि है। सुखी परिवार अभियान आज राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा, नैतिकता, सदाचार और स्वस्थ मूल्यों की स्थापना का एक अभिनव उपक्रम बन चुका है।

भारत की संत परंपरा में गणिवर्य राजेन्द्र विजय जी महाराज साहब का एक विशिष्ट स्थान है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन दर्शन की भूमिका पर जीने वाले इस संत चेतना ने संपूर्ण मानव जाति के परमार्थ में स्वयं को समर्पित कर समय, शक्ति, श्रम और सोच को एक सार्थक पहचान दी है। संप्रदाय विशेष से बंधकर भी आपके निर्बंध कर्तृत्व ने राष्ट्रीय एकता, सद्भावना एवं परोपकार की दिशा में संपूर्ण राष्ट्र को सही दिशाबोध दिया है। आप आचार्य श्रीमद् विजयानंद सूरीश्वर प्रसिद्ध नाम श्री आत्मारामजी की पाट परंपरा के परमार क्षत्रियोद्धारक, कलिकाल चिंतामणी, गच्छाधिपति श्री विजय इन्द्रदिन्न सूरीश्वरजी महाराज के शिष्य हैं एवं अपने गुरु एवं गच्छ के प्रति सर्वात्मना समर्पित एवं सक्रिय हैं। आपका संपूर्ण जीवन त्याग और तपस्या से ओत-प्रोत है। ग्यारह वर्ष की अल्प आयु में आपने साधनामय जीवन की ओर अपने चरण अग्रसर किए एवं एक वर्ष तक गुरु सन्निधि में गहन तप और ज्ञान गंगा में निमज्जन करके बारह वर्ष की आयु में सन 1986 की अक्षय तृतीया के शुभ दिन अकोला, महाराष्ट्र में संयम जीवन अंगीकार किया। तभी से गुजराती, हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, प्राकृत आदि भाषा के ज्ञान के साथ जिन-धर्म, दर्शन, साध्वाचार, तत्वार्थ, आगम आदि ग्रंथों का अपने गुरु की निश्रा में 17 वर्षों तक अध्ययन किया।

गणिवर्य राजेन्द्र विजय जी की निष्ठा अहिंसा में है। अपनी निष्ठा के अनुरूप जीवन जीने के लिए उन्होंने अहिंसा का महाव्रत स्वीकार किया और उन्होंने मुनि जीवन को अंगीकार किया। अहिंसा को व्यावहारिक रूप देने के लिए उन्होंने अहिंसा का प्रशिक्षण अपने गुरु आचार्य श्रीमद् विजय इन्द्रदिन्न सूरीश्वरजी से प्राप्त किया। अहिंसा की महत्ता को उजागर करने के लिए उन्होंने अहिंसा पर प्रवचन किए, लेख लिखे, गांव-गांव की पदयात्रा की, हिंसा प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में सघन उपक्रम किए। 'सुखी परिवार अभियान' की उनकी परिकल्पना अहिंसा को लोकजीवन में प्रतिष्ठित करने और अहिंसक शक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से ही हुई थी। देश के प्रबुद्ध चिंतकों, राजनेताओं, अहिंसा-धर्मियों से विचार-विमर्श करते समय भी उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि अहिंसा को जीवन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

गणिवर्य राजेन्द्र विजय जी ने जैन धर्म और अहिंसा का प्रचार-प्रसार उन आदिवासी क्षेत्रों में व्यापकता से किया है जो जैनेत्तर क्षेत्र कहे जाते हैं और जिनमें हिंसा की बहुलता है। गुजरात के बड़ोदरा जिले के आदिवासी अंचल के लोगों में उनके विचारों और अहिंसक कार्यक्रमों का इतना व्यापक प्रभाव स्थापित है कि लाखों की संख्या में लोगों ने न केवल हिंसा का परित्याग किया बल्कि अपनी जीवन-शैली को अहिंसा के अनुरूप ढाला है।

गणिवर्य राजेन्द्र विजय जी आद्य संस्कृति को सुरक्षित रखने में स्थान-स्थान पर प्रवचन, धर्म-सभा, संगोष्ठी का आयोजन करते रहते हैं। गुजरात के आदिवासी अंचल में शिक्षा और चिकित्सा के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। बोडेली ग्राम में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 'ब्रह्म सुन्दरी कन्या छात्रावास' बनाया गया है। बलद गांव में 'सुखी परिवार जीवदया गौशाला' एवं कवांट में 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' आज गुरुजी की यशपताका फहरा रहे हैं। ●

kalpana
PRINTOGRAPHICS

KALPANA PRINTOGRAPHICS

quality designing & printing under one roof

CONTACT US

C-355, 3rd Floor, Street No. 9, West Vionod Nagar, Delhi-110092

Phone: +91-9354840377 | Email: kpg2000@gmail.com

9910406059 kalpanaprintographics

अग्निपथ

रक्षा क्षेत्र में भर्तियों की नई व्यवस्था

युवा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होते हैं। एक युवा मन प्रतिभा और रचनात्मकता से भरा हुआ होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र बिना युवा शक्ति के सशक्त नहीं हो सकता, फिर भारत तो दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। देश के इन्हीं युवाओं के हक मे दो निर्णायक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। पहला...'अग्निपथ' योजना के तहत सशस्त्र सेनाओं में चार वर्ष की सेवा का अवसर और दूसरा...आने वाले डेढ़ वर्ष में केंद्र सरकार और उसके विभागों के अंतर्गत मिशन मोड में 10 लाख नए रोजगार...ताकि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में युवा शक्ति हो सक्षम और रक्षा सेवाओं में हो व्यापक बदलाव...

भारत की युवा शक्ति को अनुशासित, कौशलयुक्त और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में बदलाव की नई मुहिम के तहत 'अग्निपथ' योजना की शुरुआत की है। 14 जून को रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वाले युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। पहले वर्ष आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे समझें युवाओं के लिए अब तक की सबसे क्रांतिकारी योजना को...

अग्निवीर कहलाएंगे यह सैनिक

- सिपाही के पद पर नई भर्तियां अब अग्निपथ योजना के तहत होंगी और इसके तहत भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे।
- इन्हें 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका मिलेगा। इनमें से 25 प्रतिशत को सेना में ज्यादा समय तक काम करने का मौका मिलेगा। यानी 4 वर्ष बाद इनमें से 25 फीसदी सैनिक सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्ष के स्थाई कमीशन के लिए पात्र होंगे।
- इन अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद एक मुश्त राशि, तकनीकी योग्यता का सर्टिफिकेट मिलेगा जो इन्हें कॉरपोरेट जगत में नई नौकरी में मदद करेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए सीआरपीएफ और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

पात्रता के आधार पर भर्ती

- अग्निवीर बनने के लिए 10वीं और 12वीं पास देश का कोई भी युवा जिसकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच है, वह आवेदन कर सकता है।
- अग्निपथ योजना के तहत थल, वायु और नौ सेना में भर्ती होने के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता पर आधारित भर्ती योजना लाई जाएगी। जो युवा 10वीं के बाद अग्निवीर बनेंगे, उन्हें सेना से 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा।
- योजना के तहत चार साल के लिए इस वर्ष करीब 46,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। ऐसी भर्तियां हर साल की जाएंगी।

वेतन और सुविधाएं

- पहले साल में अग्निवीर को 30,000 हजार रुपये महीना वेतन मिलेगा जिसमें से 9 हजार रुपये सेवा निधि में जमा होंगे। इतनी ही राशि सेना भी अग्निवीर के खाते में जमा कराएगी। दूसरे साल 33,000 हजार रुपये महीने, तीसरे साल 36,500 रुपये महीने और चौथे साल अग्निवीर को 40,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। राशन, वर्दी और यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
- चार साल की अवधि पूरी होने पर अग्निवीर को 11.71 लाख रुपये की रकम सेवा निधि के तौर पर दी जाएगी और ये टैक्स फ्री होगी। अग्निवीर को पेंशन या ग्रेचुटी का लाभ नहीं मिलेगा।
- अग्निवीरों को 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा। सैन्य सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर 44 लाख रुपये का अतिरिक्त एक्स ग्रेशिया, विकलांगता मुआवजा, जिसके तहत 75, 50 और 25 फीसद दिव्यांगता के आधार पर एकमुश्त 44, 25 और 15 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

कौशल विकास की पहल

- इसके तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को सेना से बाहर आने पर दूसरी नौकरियों के अवसर बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। सेना की नौकरी के दौरान तकनीकी ट्रेनिंग, डिप्लोमा या आगे पढ़ाई के मौके दिए जाएंगे। इससे उन्हें कॉरपोरेट जगत में अपने लिए जगह बनाने में आसानी होगी।

सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण पहल

- भारतीय सेना से हर साल करीब 60 हजार कर्मी रिटायर होते हैं। सेना इन खाली पदों पर खुली भर्तियां होती थीं। अब इन पर अग्निपथ योजना के जरिए भर्ती की जा सकेगी।
- सेना में सबसे बड़े बदलाव के तौर पर अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेना के रैंकों में काम करने वाले सैनिकों की औसत आयु को कम करना है। अभी एक सैनिक की औसत आयु 32 वर्ष है लेकिन नई भर्ती योजना में ये कम होकर 26 वर्ष हो जाएगी।
- कठोर-पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से अनुकूल ऊजार्वान और अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ रक्षा तैयारियां सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होंगी। ●

उपलब्धि

50 अरब डॉलर के पार पहुंचा कृषि निर्यात

कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने और किसानों के हित में लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 50.21 अरब डॉलर हो गया है जो पिछले साल से 20 फीसदी अधिक है। इस निर्यात में समुद्री तथा कृषि उत्पाद दोनों शामिल हैं।

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार भारत ने चावल निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि हासिल करते हुए विश्व बाजार के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वर्ष 2021-22 में चावल का निर्यात 9.65 अरब डॉलर और गेहूं का निर्यात 2.19 अरब डॉलर का हो गया है। गेहूं के निर्यात में अप्रत्याशित 273 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य कृषि उत्पादों में चीनी का निर्यात 4.6 अरब डॉलर और अन्य अनाजों का निर्यात 1.08 अरब डॉलर हो गया है, जो अब तक का सबसे अधिक निर्यात है।

चावल-गेंहू और अन्य अनाजों के निर्यात से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसानों को लाभ हुआ। समुद्री उत्पादों के अब तक के सबसे अधिक 7.71 अरब डॉलर के निर्यात का तटीय राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किसानों को लाभ मिला है। मसालों का निर्यात लगातार दूसरे वर्ष बढ़कर 4 अरब डॉलर हो गया है। कॉफी का निर्यात पहली बार 1 अरब डॉलर को पार कर गया है, जिससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी उत्पादकों की रुचि बढ़ी है। ●

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक

गरीबों के घर तक पहुंचा बैंक

जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी के जरिए वित्तीय समावेश के रास्ते ने सामाजिक-आर्थिक रूप से लंबे समय तक उपेक्षित रहे एक बड़े वर्ग के विकास का नया रास्ता तैयार किया है तो इस पहल को और मजबूती मिली 1 सितंबर 2018 को, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरूआत की। उद्देश्य था, देश के सुदूर इलाके तक फैले डाकघर और डाकियों के विशाल नेटवर्क का उपयोग आम आदमी के हित में कर बैंकिंग सुविधाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाना। 27 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 820 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी, ताकि वित्तीय समावेशन की इस पहल को और मजबूती मिल सके...

तमिलनाडु के मुगैयूउर (थोपू) गांव में रहने वाले बुजुर्ग सुंदरम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं। उनके सबसे नजदीक सरकारी बैंक की शाखा 10 किमी दूर है। दिव्यांग और बुजुर्ग होने के कारण रुपया निकालने के लिए बैंक जाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्हें परेशान देख कर पोस्टमास्टर अरूण सेल्वा कुमार ने उन्हें डाक घर से चलने वाली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सेवा के बारे में बताया। सुंदरम को न तो अब खाते से रुपया निकालने के लिए 10 किमी दूर जाना होता है और न पर्ची भरवाने के लिए बैंक कर्मचारियों की मिन्नतें करनी पड़ती है। अब वह केवल डाकिया के पास उपलब्ध बायोमीट्रिक उपकरण पर अंगूठा लगाकर आसानी से रुपया निकाल लेते हैं।

आज अगर देश के करोड़ों लोग केवल अंगूठा लगाकर आसानी से रुपया निकाल पाने में सक्षम हो पा रहे हैं तो उसकी वजह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। संचार मंत्रालय के अंतर्गत

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची और रायपुर से शुरू होने वाली यह सेवा अब देश के हर जिले में मिल रही है।

अब आपके घर आया बैंक

खाता खोलना हो या अपने खाते में किसी सुविधा का लाभ उठाना हो, अब सिर्फ एक मैसेज भेज कर आप डाकिए को अपने घर बुलाकर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) आम आदमी के लिए एक सुलभ, सस्ता और विश्वसनीय बैंक है। सितंबर 2018 में शुरू हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट का यह सफर अब 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस तक पहुंच चुका

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से देश भर के गरीबों और दूरदराज पहाड़-जंगलों में बसे लोगों के दरवाजे तक बैंक पहुंचाने का संकल्प पूरा होने का रास्ता खुल गया है। अब हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। 'आपका बैंक आपके द्वार' यह हमारा कमिटमेंट है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

है। देश के लगभग हर शहर में शाखा/ नियंत्रण कार्यालय मौजूद है। करीब 1.89 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक स्मार्टफोन और बायोमीट्रिक डिवाइस के साथ देश के सुदूर इलाके तक इसकी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,36,078 डाकघर बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स मौजूद हैं।

जिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपना खाता खोलकर की थी, वह आज देशभर में 5.25 करोड़ खातों का सफर तय कर चुका है। इन खातों में 1,61,811 करोड़ रुपये जमा हैं। वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना के जरिए खोले गए कुल खातों में 77 फीसदी खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। कुल खातों में 48 फीसदी खाताधारक महिलाएं हैं, जिनके खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपये जमा हैं। यही नहीं, लगभग 40 लाख महिला खाताधारकों के खाते में अब डीबीटी के जरिए 2500 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। करीब 7.80 लाख बैंक खाते स्कूली छात्रों के लिए खोले गए हैं तो आकांक्षी जिलों में अब 95.71 लाख खाते खोले जा चुके हैं। आईपीपीबी एप के जरिए अब आप घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं तो डाकपे के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर या फिर वर्चुअल डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए किसी को भुगतान भी कर सकते हैं।

आपकी बचत, आपकी सुरक्षा

- **डाक घर बचत खाता (एसबी) :** केवल 500 रुपये से शुरुआत कर आप डाक घर में बचत खाता खोल सकते हैं।
- **5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता (आरडी) :** छोटी बचत का बड़ा सहारा। 5 साल के मेच्योरिटी पीरियड के लिए न्यूतम 100 रुपये प्रतिमाह पर डाक घर आरडी की सुविधा देता है।
- **डाकघर सावधि जमा खाता(टीडी) :** डाक घर में टाइम डिपॉजिट अकाउंट कम से कम 1000 रुपये से खोला जा सकता है। इस स्कीम में 5 साल के लिए किए गए निवेश पर टैक्स छूट 80C के तहत ली जा सकती है।
- **राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता (एमआईएस) :** 1000 के गुणक में प्रतिमाह रुपये जमा किए जा सकते हैं।
- **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता :** 60 से ऊपर कोई भी व्यक्ति या 55 से 60 साल के बीच रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी खाता खोल सकता है।
- **पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट :** एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। इस पर 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
- **सुकन्या समृद्धि खाता :** वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
- **राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र :** इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। परिपक्वता अवधि 5 साल है।
- **किसान विकास पत्र :** कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 1000 रुपये निवेश कर सकता है। 124 महीने के बाद आपको निवेश की राशि दोगुनी करके दी जाएगी।
- **वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस:** ऑनलाइन राशि भेजने या मंगाने की सुविधा।
- इसके अतिरिक्त डाकघर में लंबी अवधि की निवेश योजना यूटीआई के साथ नेशनल पेंशन स्कीम, दुर्घटना बीमा योजना और जन सुरक्षा का लाभ भी उठाया जा सकता है। ●

दो सेवाएं जिनकी शुरुआत पहली बार हुई

- डाकियों और ग्रामीण डाक घरों के जरिए हर घर के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना।
- ऐसी सहायक सेवाएं मुहैया कराना जो उन लोगों की मदद करे जिन्हें नकदी से डिजिटल बैंकिंग में बदलाव के बारे में कोई अनुभव नहीं है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम

केंद्र सरकार किसान और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी है। पैक्स देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) की तीसरे स्तर की व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाता है। लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। कंप्यूटरीकरण से किसानों और कृषि कार्य से जुड़े अधिकांश छोटे व सीमांत किसानों को लाभ होगा। साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू बाजार में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण-मुक्त करने की भी मंजूरी दी है।

● **फैसला :** मंत्रिमंडल ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश की 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी।

● **प्रभाव :** इस कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की दक्षता बढ़ाने के साथ उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है। इसके तहत पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने तथा विभिन्न गतिविधियां, सेवाएं शुरू करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से 13 करोड़ विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा।

यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बेहतर बनाने के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के केंद्र के रूप में पैक्स की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) है और पैक्स के माध्यम से इन केसीसी ऋणों में से 95 प्रतिशत (2.95 करोड़ किसान) छोटे व सीमांत किसानों को दिए गए हैं।

● **फैसला :** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू बाजार में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण-मुक्त करने की मंजूरी दी। ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा।

● **प्रभाव :** इसके तहत 1 अक्टूबर से उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) में कच्चा तेल सरकार या उसके द्वारा नामित इकाइयों अथवा सरकारी कंपनियों को बेचने की शर्त समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि उत्पादक अपने क्षेत्रों से उत्पादित कच्चा तेल घरेलू बाजार में बेचने को स्वतंत्र होंगे। इस समय देश में उत्पादित 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरी को आवंटित किया जाता है।

● **फैसला :** भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी।

● **प्रभाव :** इसका उद्देश्य भारत में अक्षय ऊर्जा पर आधारित हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परिवर्तन, नेतृत्व और ज्ञान को बढ़ावा देना है। यह समझौता भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के प्रयासों में मदद करेगा और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा। ●

उत्तराखंड में मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं

एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में मछली पालन की संभावनाएं पड़ोसी हिमाचल प्रदेश से कहीं अधिक हैं। यहां की नदियों, झीलों, जलाशयों में ट्राउट और महाशीर के अलावा एक दर्जन से अधिक बहुमूल्य प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। सरकारें यदि इस सिलसिले में व्यापक सर्वेक्षण कर अलग-अलग इलाकों में मछलियों के उत्पादन के लिए योजनाएं तैयार करें तो मत्स्य व्यवसाय से ही उत्तराखंड को भारी आमदनी हो सकती है।

■ **व्योमेश चन्द्र जुगरान**

जिस राज्य के पास जल संसाधनों का विपुल भंडार हो, वहां मत्स्य पालन की कोई परंपरा न हो, यह विषय चिन्तन का तो है। यहां बात उत्तराखंड के संदर्भ में कही जा रही है। राज्य सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की सितम्बर 2018 की एक अध्ययन रिपोर्ट कहती है कि इस राज्य में 2700 किलोमीटर की लंबाई लिए करीब 32 नदियां हैं, 297 वर्ग किमी. में विस्तृत लगभग 31 झीलें हैं, 23133 विस्तार वर्ग किमी. के जलाशय हैं, करीब 785 हेक्टेयर में 4290 निजी व सामुदायिक तालाब हैं। निसंदेह संसाधनों की यह विपुलता मत्स्य उत्पादन के मद्देनजर आधारभूत ढांचे के लिए शानदार परिस्थिति का निर्माण करती है। लेकिन मत्स्य उद्योग के लिए इसके दोहन की किसी बड़ी पहल का राज्य को आज भी इंतजार है। राज्य सरकार बेशक दावा करती हो कि उसने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद आमदनी के विभिन्न विकल्पों में पशुपालन और डेयरी के साथ ही मत्स्य पालन उद्योग को को प्राथमिकता में रखा है और इसके लिए अलग विभाग बनाया है, पर केन्द्र व राज्य की अनुदान नीतियों के बावजूद ग्रामीणों के बीच संबंधित उत्साह जगाने में सरकारी तंत्र असफल रहा है। छिटपुट घटनाओं में लोगों ने प्रयास जरूर किए और उन्हें प्रारंभिक सफलता भी मिली, परंतु उत्पादन की इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए राज्य की ओर से जिस प्रकार के समर्थन की जरूरत होनी चाहिए थी, वह उत्पादकों को नसीब नहीं हो सका।

स्थानीय अखबारों में छपी रिपोर्टों के अनुसार अनुदान वाली मत्स्य पालन योजना के तहत उत्तरकाशी क्षेत्र के बारसू, नटीण, पाला, हुर्री, भंगेली और हर्षिल में कई तालाब बने। बारसू गांव में एक किसान ने तीन तालाब बनाकर लगभग 50 किलो ट्राउट मछली का उत्पादन किया जो कि ऊंचे दाम पर हाथों-हाथ बिक गई। गांव में ही पहुंचे खरीदारों ने इस मछली के लिए 1200 से 1500 रुपये प्रति किलो के शानदार दाम दिए। लेकिन किसान के पास आगे के लिए न मछली का बीज उपलब्ध हो सका और न ही चारा। खास बात कि नई

हालांकि भारत में सजावटी मछली के व्यापार में हो रही वृद्धि काफी उत्साहवर्धक है। भारत में पलने और विपणन की जाने वाली अधिकांश सजावटी मछलियां अनूठी प्रजातियों की हैं। देश के पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अद्वितीय जैव विविधता के साथ सजावटी मछलियों का एक समृद्ध संसार है लेकिन इन संसाधनों का उचित दोहन नहीं किया जा सका है।

दिल्ली से कई खरीदार हर्षिल की स्नो ट्राउट को अपने रेफ्रिजरेटेड वाहन से उठाने को तैयार हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की ढिलाई के चलते यहां उत्पादन नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि अंग्रेजों ने टिहरी रियासत काल में असी गंगा पर कल्याणी में मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्र बनाया था जो 2012 की बाढ़ में तबाह हो गया। तब से इस क्षेत्र में ऐसे किसी केन्द्र की स्थापना के बारे में नहीं सोचा गया।

उत्तराखंड में ट्राउट मछली के लिए बहुत अनुकूल जलवायु है। लोग इस मछली की मुंहमांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यह 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो तक बिकती है। इसके औषधीय गुणों के कारण देश-विदेश में इसकी भारी मांग है। कहते हैं कि करीब 120 साल पहले इस मछली को अंग्रेज भारत लाये थे। अंग्रेजों ने ही उत्तराखंड में उत्तरकाशी के डोडीताल में इसके अंडे डाले थे। भारत में हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में ट्राउड का पालन किया जाता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और चकराता में इसके उत्पादन और संवर्धन के प्रति ललक बढ़ी है, मगर राज्य सरकार बीज और चारा का इंतजाम करने में समर्थ नहीं दिखती। हालांकि दावा किया जा रहा है कि मत्स्य विभाग चमोली जिले के बैरांगना और काशापुर स्थिति मत्स्य प्रजनन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यहां ट्राउड के लिए अलग से चारा तैयार करने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, हिमाचल से मत्स्य बीजों का इंतजाम किया जा रहा है

एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में मछली पालन की संभावनाएं पड़ोसी हिमाचल प्रदेश से कहीं अधिक हैं। यहां की नदियों, झीलों, जलाशयों में ट्राउट और महाशीर के अलावा एक दर्जन से अधिक बहुमूल्य प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। सरकारें यदि इस सिलसिले में व्यापक सर्वेक्षण कर अलग-अलग इलाकों में मछलियों के उत्पादन के लिए योजनाएं तैयार करें तो मत्स्य व्यवसाय से ही उत्तराखंड को भारी आमदनी हो सकती है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते रहे हैं कि राज्य में 'कोल्ड वाटर फिशरीज' के विकास के लिए किसी उपयुक्त जगह पर अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। यह देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र की भी एक बड़ी आवश्यकता है। उत्तराखंड में भीमताल स्थित शीत जल मत्स्य पालन अनुसंधान निदेशालय जरूर है, मगर यह एक रूटीन सरकारी महकमे के अलावा अभी तक किसी बड़ी उपलब्धि के लिए नहीं जाना गया है। राज्य में पर्यटन के मद्देनजर शौकिया तौर पर मत्स्य आखेट के लिए मनोरंजन पार्कों का विकास किया जा सकता है। झीलों में नौका विहार से संग इसकी इजाजत दी जा सकती है। हिमाचल ने तो कुल्लू क्षेत्र में मछली पालन केन्द्र को पर्यटन आकर्षण का महत्वपूर्ण केन्द्र बना दिया है। हां, इसके लिए पर्यावरणीय व जैव विविधता संबंधी पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है।

लगता नहीं है कि उत्तराखंड में मत्स्य उद्योग सरकार की प्राथमिकताओं में है। सिर्फ बातें हो रही हैं, जमीन पर कोई कार्य योजना उतरती नजर नहीं आती। मजेदार बात यह है कि राज्य में मत्स्य उत्पादन के लिए जिलों को बाकायदा श्रेणीबद्ध तक किया जा चुका है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में तो प्राथमिकता के आधार पर ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाना था। 'ए' श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और बागेश्वर को रखा गया है। 'बी' श्रेणी में अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी, 'सी' श्रेणी में देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला, नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी और हरिद्वार और उधमसिंह नगर तथा देहरादून और नैतीताल के शेष इलाके 'डी' श्रेणी शामिल हैं।

सजावटी मछली और एक्वेरियम उद्योग

खाद्य के अलावा मछली का जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपयोग है, वह है सजावटी मछली उद्योग। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के पर्वतीय राज्य सजावटी मछलियों के भंडार गृह हैं। उत्तराखंड में तो इसकी बहुत गुंजाइश है। सरकारें यदि दिलचस्पी लें तो युवाओं को इस दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। उनके बीच सजावटी मत्स्य पालन के लिए मछलियों की आदतों और जीव विज्ञान की समझ बढ़ाने के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। मत्स्य पालन के अन्य स्वरूपों की तुलना में कम स्थान और कम पूंजी जैसी सुविधा के बावजूद यह उद्यम उपेक्षित रहा है, जबकि इसका एक अंतरराष्ट्रीय फलक है। यानी संसार भर में सजावटी मछलियों की अच्छी मांग है। उत्तराखंड के जलस्रोतों में जिन प्रजातियों को सजावटी मछलियों के रूप में संवर्धित किए जाने की संभावना हो सकती है, उन्हें खाद्य के रूप में ही पकड़ा जाता रहा है। इससे जैव विविधता और आर्थिक दोनों तरह का नुकसान होता है। कम मानव बल की आवश्यकता के कारण यहां की महिलाएं या बुजुर्ग गांवों में गाड़-गधेरों और नदी-नौलों के माध्यम से छोटी-छोटी घरेलू एक्वेरियम इकाइयां चला सकते हैं और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर स्वविकास कर सकते हैं।

'एक्वेरियम कीपिंग' दुनिया में दूसरा सबसे

बड़ा शौक है। इसी शौक से जुड़ा होने के कारण सजावटी मछली और जलीय पौधों का उद्योग आर्थिक अवसरों और संभावनाओं के नजरिये से लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दुनिया भर में सजावटी मछलियों की लगभग 600 प्रजातियों की जानकारी मिलती है। यह क्षेत्र 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। वर्तमान में सजावटी मछली का विश्व व्यापार लगभग 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.25 अरब अमेरिकी डॉलर है। जाहिर है भारत इस दिशा में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया है।

हालांकि भारत में सजावटी मछली के व्यापार में हो रही वृद्धि काफी उत्साहवर्धक है। भारत में पलने और विपणन की जाने वाली अधिकांश सजावटी मछलियां अनूठी प्रजातियों की हैं। देश के पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अद्वितीय जैव विविधता के साथ सजावटी मछलियों का एक समृद्ध संसार है लेकिन इन संसाधनों का उचित दोहन नहीं किया जा सका है। भारत का पश्चिमी घाट दुनिया में सजावटी मछलियों के 25 प्रमुख स्थानों में से एक है। यहां असाधारण जैव विविधता है और बहते पानी में विचरने वाली मछलियों का एक भरा-पूरा संसार है।

इसी प्रकार विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तराखंड की नदियों में सजावटी मछली की भरपूर संभावनाएं हैं लेकिन इस बारे में अभी ठोस अध्ययन नहीं हुआ है। यहां सजावटी मछली के व्यापार को विस्तार देने के लिए पैकेज विकसित करने की आवश्यकता है। हालांकि इस पृष्ठभूमि में यह देखना दिलचस्प होगा कि आजीविका सुरक्षा और उद्यमशीलता के मद्देनजर उत्तराखंड का किसान सजावटी मत्स्य पालन की संभावनाओं व अवसरों का किस प्रकार उपयोग कर पाता है क्योंकि अनेकानेक कारणों से मत्स्य पालन उत्तराखंड के परंपरागत उद्यमों का हिस्सा नहीं रहा है जबकि यहां बड़े पैमाने पर सजावटी मछली का उत्पादन संभव बनाने लायक नमीयुक्त विशिष्ट क्षेत्रों, नदियों और अन्य कुदरती संसाधनों की कमी नहीं है। इस क्रम में अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकार और निजी उद्यमियों के बीच भागीदारी बढ़ाते हुए सजावटी मछली के चिरस्थायी व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। उत्पादकों को बीज वितरण के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर हैचरी का विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रजनन और खेती की बेहतर दशाओं के लिए प्रशिक्षित मानव बल का विकास भी जरूरी है। शिक्षण संस्थानों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों में अधिक से अधिक छात्र रुचि लें, इसके लिए शिक्षा प्रणाली और अनुसंधान गतिविधियों में नूतन कार्यक्रमों को शामिल किया जाए।

> जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है सरकार यहां भी मत्स्य उद्योग को अपनाने के लिए पीपीपी मोड की बातें कर रही है मगर इन प्रयासों को बहुत सहमकर और संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना होगा। यहां के जलस्रोतों के बहुआयामी उपयोग के लिए एक समग्र नीति का खाका तैयार करना जरूरी है।

भारत सरकार हर वर्ष 5-10 मिलियन लार्वा की क्षमता वाली सजावटी मछली की हैचरियों को 10 प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्रति इकाई 15 लाख रुपये की सहायता देती है। सजावटी मछली के निर्यात में सहायक उद्यमों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के पास भी प्रावधान हैं। सजावटी मछली पालन को निर्यातोन्मुख उद्योग बनाने के लिए 'मत्स्यफेड' और 'फर्म्स' जैसी संस्थाएं प्रजनन और निर्यात के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं। इस उद्यम को विकसित करने की विभिन्न राज्य सरकारों की अपनी-अपनी रणनीति है। उदाहरण के लिए केरल सरकार ने इस दिशा में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को अपनाया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार सजावटी मछली के निवेश और व्यापार के अवसर प्रदान कर रही है। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है सरकार यहां भी मत्स्य उद्योग को अपनाने के लिए पीपीपी मोड की बातें कर रही है मगर इन प्रयासों को बहुत सहमकर और संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना होगा। यहां के जलस्रोतों के बहुआयामी उपयोग के लिए एक समग्र नीति का खाका तैयार करना जरूरी है। अभी तक इन संसाधनों को लेकर सरकारों की प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ विद्युत उत्पादन के लिए बांधों का निर्माण रहा है जिसके परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं, न सिर्फ पर्यावरणीय असंतुलन के नजरिये से, बल्कि जैव विविधता की क्षति के लिहाज से भी। विशेषज्ञ इस बात से चिन्तित हैं कि उत्तराखंड में बांधों के लिए नदियों के नहरीकरण अथवा सुरंगीकरण के कारण मछलियों की अनेक घरेलू प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। ●

जब खत्म हो जायेगी पृथक पर्वतीय राज्य की अवधारणा

उत्तराखंड में यदि जनसंख्या को आधार मानकर परिसीमन होता है और भूगोल और क्षेत्रफल को तिरोहित कर दिया जाता है तो अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद उत्तराखंड के एक पृथक पर्वतीय राज्य होने की अवधारणा हमेशा के लिए खत्म हो जायोगी।

■ **नीरज जोशी**

हाल ही में दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड के प्रवासी उद्यमियों के एक सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख और उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी एक मार्मिक अपील कर रहे थे कि अगर उत्तराखंड की पृथक पर्वतीय राज्य की अवधारणा को बचाना है तो महानगरों में रह रहे उत्तराखंड के पांच लाख मतदाताओं को हर हाल में अपना वोट उत्तराखंड में देना होगा। उनके अनुसार इसके अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे उत्तराखंड के पृथक पर्वतीय राज्य के तमगे को बचाया जा सके। इसका एक स्पष्ट अर्थ तो यह भी हुआ कि उनकी सरकार या भविष्य में गठित होने वाला परिसीमन आयोग 2006 में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनाई गई जनसंख्या नीति को ही पहाड़ों के लिए भी आधार बनायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भूगोल या क्षेत्रफल को तरजीह मिलने की अभी तक कोई संभावना नहीं है। हालांकि 2006 के परिसीमन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को 1980 के दशक के बाद पहाड़ों से हुए भारी पलायन के चलते मैदानों की अपेक्षा जनसंख्या में 10 प्रतिशत की शिथिलता दी लेकिन इससे परिदृश्य ज्यादा नहीं बदला। इसके बावजूद 2001 की जनसंख्या के आधार पर किये गये परिसीमन से पहाड़ की छह सीटें घट गईं जिनमें अल्मोड़ा की भिकियासैंण, बागेश्वर की कांडा, पिथौरागढ़ की कनालीछीना नैनीताल की धारी और पौड़ी की धूमाकोट और बीरोंखाल। और यह छह सीटें हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में जुड़ गईं। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के चलते हमेशा से सामान्य रही अल्मोड़ा लोकसभा सीट आरक्षित और हरिद्वार सामान्य हो गई। 2006 के परिसीमन के चलते पहाड़ में 40 में से 34 और मैदान में 30 से 36 सीटें हो गई।

2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 2001 में विधानसभा के लिए परिसीमन हुआ था जिसका आधार 1971 की जनसंख्या को बनाया गया था, तब पहाड़ों से पलायन की दर

यदि 2026 का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो इस बार परिसीमन आयोग या सरकार को पहाड़ी क्षेत्र को जनसंख्या में शिथिलता 10 नहीं पूरे 30 फीसदी देनी होगी। ऐसी स्थिति में ही पौड़ी और अल्मोड़ा में दो-दो लोकसभा क्षेत्र आकार ले सकते हैं। इसके प्रतिकूल नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, टिहरी, देहरादून के कुछ हिस्से इधर-उधर कर और हरिद्वार जनसंख्या के आधार पर दो- दो सीट बनने के मानदंड पूरे करते हैं। ऐसे में पर्वतीय राज्य की अवधारणा को बचाने का आधार जनसंख्या में शिथिलता के साथ-साथ क्षेत्रफल, कम जनसंख्या घनत्व, पलायन और पर्वतीय क्षेत्र का सामारिक महत्व भी है। इस दिशा में परिसीमन आयोग और सरकार को लद्दाख का उदाहरण सामने रखना चाहिए।

इतनी नहीं थी, लेकिन 2006 के परिसीमन का आधार 2001 की जनसंख्या थी। तब पहाड़ों से भारी संख्या में पलायन हो चुका था इसलिए लोग लंबे समय तक 2006 के परिसीमन का विरोध करते रहे लेकिन तब की सरकार और परिसीमन आयोग अड़े रहे। इसके बावजूद राजनैतिक दल परिसीमन आयोग पर तमाम दबाव बनाने के बाद भी अल्मोड़ा को सुरक्षित होने से नहीं बचा पाये। अल्मोड़ा के आरक्षित हो जाने का कारण भी हरिद्वार की जनसंख्या थी जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या राज्य में सबसे ज्यादा (3,58,114) थी जबकि अल्मोड़ा में यह 3,41,501 थी जो प्रतिशत में 22.31 थी, जबकि हरिद्वार में यह प्रतिशत 19.41 बैठता था। इसलिए अल्मोड़ा आरक्षित हो गया। पलायन के आंकड़े राज्य बनने के बाद तेजी से आगे बढ़े हैं। इस बीच राज्य से चार लाख लोग बाहर चले गये तो 3000 गांव बंजर या भुतहा हो गये, इनमें ज्यादातर अल्मोड़ा और पौड़ी के हैं।

जैसा कि स्पष्ट ही था 2026 में या इसके बाद देश में विधानसभा या लोकसभा की सीटों के बढ़ाने पर 2001 में लगाई गई रोक समाप्त हो जायेगी। जिस तरह सेंट्रल विस्टा योजना के तहत केन्द्र सरकार नये संसद भवन और अन्य भवन बना रही है और संसद भवन में 900 सांसदों के बैठने और 1400 सदस्यों के बैठने लायक सैंट्रल हाल बन रहा है उससे तो यह तय है कि 2026 या 27 में जब भी हो लोकसभा, राज्यसभा या राज्यों की विधानसभाओं का परिसीमन संख्या के हिसाब से होगा। परिसीमन को लेकर अब तक नियम है कि एक संसदीय क्षेत्र में 10 लाख की आबादी को समेटा जाना चाहिए। आजादी के बाद देश में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का भारत में पहला परिसीमन 1951 में हुआ था। 1967 के बाद संख्या नहीं बढ़ाई गई, इसलिए तेलंगाना की मलकानगिरी जैसी लोकसभा सीटों में 32 लाख के आसपास मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 25 लाख तो उन्नाव और अन्य कई लोकसभा सीटों पर 20 लाख से अधिक मतदाता हैं। यदि 10 लाख का आधार होता है तो पिछले लोकसभा चुनाव में देश में कुल मतदाता 88.8 करोड़ थे जिसका अर्थ हुआ कि लोकसभा सीटों की संख्या 2026 के बाद 888 हो जानी चाहिए। ऐसे भी कयास लगाये जा रहे हैं कि राज्यसभा सीटें भी 250 से बढकर 384 हो जायेंगी।

दिल्ली में पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक मतदाताओं की संख्या 16 गुना तक बढ़ गई है इसलिए यहां 2026 के बाद सीटें दोगुनी होना तय है लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी और अल्मोड़ा का परिदृश्य कैसे दोगुना हो? इस सवाल का उत्तर आसान नहीं है क्योंकि अल्मोड़ा या पौड़ी जहां अभी 15 लाख के आसापास मतदाता हैं 2021 की जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन में भी इनकी जनसंख्या 20 लाख के आसापास नहीं पहुंचती। पौड़ी में 19 लाख तो अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ में 18 लाख के आसपास मतदाता होने की संभावना है। यदि जनसंख्या को आधार मानकर परिसीमन होता है और भूगोल और क्षेत्रफल को तिरोहित कर दिया जाता है तो अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद उत्तराखंड के एक पृथक पर्वतीय राज्य होने की अवधारणा हमेशा के लिए खत्म हो जायोगी। असल में असली पहाड़ पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा सीटों में ही सिमटा है क्योंकि टिहरी लोकसभा सीट

का बड़ा हिस्सा देहरादून का मैदानी क्षेत्र है, जबकि नैनीताल लोकसभा सीट का नैनीताल पहाड़ी क्षेत्र बहुत कम (लगभग 10 लाख) और ऊधमसिंहनगर का मैदानी क्षेत्र बहुत ज्यादा (17 लाख) है। पौड़ी लोकसभा सीट में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले तो अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जैसे ठेठ पहाड़ी जिले शामिल हैं। इसके साथ टिहरी के पहाड़ी हिस्से को जोड़कर देखें तो उत्तराखंड राज्य के 84 प्रतिशत पहाड़ी हिस्से में 48 प्रतिशत जनसंख्या तो करीब 16 प्रतिशत मैदानी हिस्से में 52 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

यदि 2026 का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो इस बार परिसीमन आयोग या सरकार को पहाड़ी क्षेत्र को जनसंख्या में शिथिलता 10 नहीं पूरे 30 फीसदी देनी होगी। ऐसी स्थिति में ही पौड़ी और अल्मोड़ा में दो-दो लोकसभा क्षेत्र आकार ले सकते हैं। इसके प्रतिकूल नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, टिहरी, देहरादून के कुछ हिस्से इधर-उधर कर और हरिद्वार जनसंख्या के आधार पर दो- दो सीट बनने के मानदंड पूरे करते हैं। ऐसे में पर्वतीय राज्य की अवधारणा को बचाने का आधार जनसंख्या में शिथिलता के साथ-साथ क्षेत्रफल, कम जनसंख्या घनत्व, पलायन और पर्वतीय क्षेत्र का सामारिक महत्व भी है। इस दिशा में परिसीमन आयोग और सरकार को लद्दाख का उदाहरण सामने रखना चाहिए। लद्दाख क्षेत्रफल (1.40 लाख वर्ग किमी) के हिसाब से देश का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जबकि इसके मतदाता 1,60,000 से भी कम हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती भू-भाग का सामरिक महत्व लद्दाख से कहीं कम नहीं है, पौड़ी और अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के ऐसे ही सीमावर्ती इलाके हैं।

रिवर्स पलायन के लिए लोगों को प्रेरित करना एक बड़ा अभियान और प्रेरणा है लेकिन यह बहुत कठिन काम है। 5 लाख वोटरों को अगले चंद वर्षों में पहाड़ों पर वापस खींचना बड़ी चुनौती होगी लेकिन इस दिशा में पहल करने वालों को इस अंतःप्रेरणा को संबल देना चाहिए कि भूगोल और विशिष्टताओं के कारण भी इस देश में हिमालई राज्यों को विशेष दर्जा मिलता रहा है। परिसीमन 2026 में हो या 27 में पांच लाख मतदाताओं को वापस पहाड़ों पर वापस लाने की श्रमसाध्य चुनौती के बजाय इस बात को भी तवज्जो दी जाय कि केन्द्र में बैठी सरकार और उत्तराखंड से अति स्नेह रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री को भूगोल और क्षेत्रफल के दर्द से भी गंभीरता से परिचित कराया जाय। यदि अल्मोड़ा और पौड़ी दो के बजाय चार लोकसभा क्षेत्र हो जाते हैं तो यही फार्मूला विधानसभा क्षेत्रों पर भी लागू होगा जिससे उत्तर प्रदेश से अलग एक पर्वतीय राज्य की जो कल्पना और मांग लोगों ने तीन दशक पहले रखी थी उसे बचाया जा सकता है। यदि बिना किसी विशेष पहल के उत्तराखंड में परिसीमन होता है तो अगली बार पर्वतीय भूभाग में विधानसभा की 27 सीटें रहेंगी और पर्वतीय राज्य की अवधारणा हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी। ●

कृषि भवन में खुला डीडी किसान चैनल का स्टूडियो

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रयासों से कृषि भवन, नई दिल्ली में डीडी-किसान के स्टूडियो की स्थापना की गयी है। इसका शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे व श्री कैलाश चौधरी के साथ किया।

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय का बहुत व्यापक क्षेत्र है और देश में किसानों की बड़ी संख्या है, जिन तक डीडी न्यूज व डीडी किसान चैनल के माध्यम से अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती है।

शुभारंभ के अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत आठ वर्षों में किसानों के जीवन में बदलाव आया है और किसानी के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में किसान टेक्नालाजी से जुड़ें, वर्तमान परिवेश को पहचानें, महंगी फसलों की ओर जाएं व मुनाफे की खेती करें, इस दृष्टि से सरकार व किसानों के बीच यह चैनल एक सेतु का काम कर रहा है।

श्री तोमर ने कहा कि इस स्टूडियो की स्थापना से मंत्रालय की गतिविधियों, कार्यक्रमों व मिशन की अद्यतन जानकारी त्वरित गति से किसानों और अन्य हितधारकों तक पहुंचेगी। उन्होंने कृषि भवन में स्टूडियो खोलने के लिए दूरदर्शन व डीडी-किसान को धन्यवाद दिया।

किसानों के समावेशी विकास के लिए एक नई पहल के रूप में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 26 मई 2015 को किसानों के लिए डीडी किसान चैनल शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश में कृषि और ग्रामीण समुदाय की सेवा करना तथा उन्हें शिक्षित कर समग्र विकास का वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है। डीडी किसान के कुछ प्रमुख आंतरिक कार्यक्रम हैं- चौपाल चर्चा, किसान समाचार, गांव किसान, मंडी खबर, मौसम खबर, हैलो किसान लाइव (एक घंटे का फोन-इन लाइव), विचार-विमर्श (एक घंटे की पैनल चर्चा), छत पर बागवानी, गुलदस्ता-उत्तर पूर्वी राज्यों से, स्वस्थ किसान (एक घंटे का फोन-इन लाइव, पैनल डिस्कशन) पहली किरण (पूर्वोत्तर शोकेस), कृषि दर्शन, सरकार आपके साथ, बढ़ते भारत का नया किसान, अपना पशु चिकित्सक एवं कृषि विशेष। साथ ही, सरकार के प्रमुख ऐतिहासिक निर्णयों पर किसानों को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए प्रासंगिक कार्यक्रम एवं पैनल चर्चा नियमित रूप से तैयार की जाती है। ●

ड्रोन सेक्टर में भारत के भविष्य की बुनियाद

अब ड्रोन सिर्फ रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले उपकरण भर नहीं रहे हैं, बल्कि बहुद्देश्यीय उपकरण के तौर पर उभर रहे हैं। इनका उपयोग शासन, खेती, रसद जैसे कई क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है और दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा किया भी जा रहा है। इसलिए कुछ समय पहले तक ड्रोन के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर भारत अब इसके निर्माण सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। उद्देश्य है 2030 तक भारत को 'ड्रोन हब' बनाना। ड्रोन निर्माण सेक्टर के लिए पीएलआई जैसी योजना ने इसमें भारत की संभावनाओं का नया द्वार खोला है। इसी कड़ी में 27 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव की शुरूआत हुई। महोत्सव में खुद ड्रोन उड़ाकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मेरा तो यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो।'

अब शहरों में ही नहीं गांव-देहात, सुदूर के आदिवासी, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों में भी ड्रोन के तरह-तरह के उपयोग निकल रहे हैं और बहुत मददगार सिद्ध हो रहे हैं।

ड्रोन बन रही एक बड़ी क्रांति का आधार

- पीएम स्वामित्व योजना में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। केदारनाथ में जब पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री ड्रोन के जरिए काम का निरीक्षण करते थे।
- भारत में कोविड के दौरान ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई गई, वहीं यह किसानों के लिए यूरिया के छिड़काव का साधन बना। पेड़ उगाने के लिए भी ड्रोन काम आता है।
- इस साल बीटिंग रिट्रीट के मौके पर 10 मिनट तक 1000 ड्रोन की मदद से आसमान जगमग किया गया और इस तरह का शो आयोजित करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। भारत में अब केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ही ड्रोन आयात की अनुमति है। ●

खुले में शौच मुक्त भारत

देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए शुरू की गई स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना में 2014 से अब तक 10.93 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 में खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। अब 2025 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के साथ-साथ कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 चलाया जा रहा है। 54 हजार गांव ने ठोस कचरा प्रबंधन और 29 हजार गांव में तरल कचरा प्रबंधन काम पूरा हो चुका है। गोबरधन योजना भी इसी का हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी को मिलाकर 11.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ।

ग्रामीण परिवारों के लिए शौचालय कवरेज-

2014 - 43.8 प्रतिशत
2020 - 100 प्रतिशत

'सहकार से समृद्धि' के साथ 'गरीब कल्याण' का लक्ष्य

भारतीय संस्कृति में समरसता व सामाजिक सहयोग के विचार को महत्व दिया गया है। सहकारिता का विकास इसी भावना के अनुरूप है। गुजरात वह राज्य है जिसे सहकारिता के लिए देश में आदर्श माना जाता है। यहां 84,000 सोसाइटियों से लगभग 231 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। ऐसे में देश को पहला सहकारिता मंत्रालय देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को जब अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे तो एक बार फिर उन्होंने 'सहकार से समृद्धि' विषय पर अपना विजन देश के सामने रखा। इसके अलावा किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्होंने इफको कलोल में नवनिर्मित नैनो लिक्विड यूरिया के संयंत्र का उद्घाटन किया तो राजकोट में केडीपी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का दौरा भी किया...

आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है। आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल, सहकार भी है। 'सहकारिता से समृद्धि की ओर' की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न सिर्फ अलग से सहकारिता मंत्रालय गठित किया बल्कि इस मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी। सहकार की सबसे बड़ी शक्ति लोगों के विश्वास, सहयोग, सामूहिक शक्ति और सबके सामर्थ्य से संगठन के सामर्थ्य को बढ़ाना है। यही आजादी के अमृतकाल में भारत की सफलता की गारंटी है।

सहकारिता के सफल प्रयोगों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के कई मॉडल हैं, जिसमें गुजरात के अमूल इंडिया और लिज्जत पापड़ की सफलता सबके सामने हैं। गुजरात में सहकारिता का मजबूत उदाहरण अमूल दूध है। इसी तरह गुजरात मूल की जिस महिला ने लिज्जत पापड़ की शुरुआत की, वो भी मल्टीब्रांड बन गया है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की शुरूआत जसवंतीबेन ने की थी। वर्तमान में मुंबई में रहने वाली जसवंतीबेन को हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है जिसमें गुजरात की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। आज भारत एक साल में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का दूध उत्पादन करता है। यहां करीब साढ़े पांच हजार मिल्क को-ऑपरेटिव सोसायटी महिलाएं चला रही हैं। इसी तरह पशुपालन का पूरा सेक्टर करीब 9 लाख करोड़ रुपये का है जो भारत के छोटे किसानों, भूमिहीन, श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। सहकारिता को ताकत देने के लिए सरकार ने सहकारी समितियों से जुड़े टैक्स में कटौती करने के अलावा इसे किसान उत्पादक संघ के बराबर कर दिया है।

आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है। आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल, सहकार भी है। 'सहकारिता से समृद्धि की ओर' की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न सिर्फ अलग से सहकारिता मंत्रालय गठित किया बल्कि इस मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी। सहकार की सबसे बड़ी शक्ति लोगों के विश्वास, सहयोग, सामूहिक शक्ति और सबके सामर्थ्य से संगठन के सामर्थ्य को बढ़ाना है। यही आजादी के अमृतकाल में भारत की सफलता की गारंटी है।

सहकारिता के सफल प्रयोगों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के कई मॉडल हैं, जिसमें गुजरात के अमूल इंडिया और लिज्जत पापड़ की सफलता सबके सामने हैं। गुजरात में सहकारिता का मजबूत उदाहरण अमूल दूध है। इसी तरह गुजरात मूल की जिस महिला ने लिज्जत पापड़ की शुरूआत की, वो भी मल्टीब्रांड बन गया है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की शुरुआत जसवंतीबेन ने की थी। वर्तमान में मुंबई में रहने वाली जसवंतीबेन को हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है जिसमें गुजरात की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। आज भारत एक साल में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का दूध उत्पादन करता है। यहां करीब साढ़े पांच हजार मिल्क को-ऑपरेटिव सोसायटी महिलाएं चला रही हैं। इसी तरह पशुपालन का पूरा सेक्टर करीब 9 लाख करोड़ रुपये का है जो भारत के छोटे किसानों, भूमिहीन, श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। सहकारिता को ताकत देने के लिए सरकार ने सहकारी समितियों से जुड़े टैक्स में कटौती करने के अलावा इसे किसान उत्पादक संघ के बराबर कर दिया है। ●

पशुधन और पॉल्ट्री पक्षियों की नस्ल आधारित गणना

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, पशुपालन विभाग के सचिव श्री अतुल चतुवेर्दी और संयुक्त सचिव श्री उपमन्यु बसु उपस्थित थे। श्री रूपाला ने पशुधन को उन्नत बनाने के लिए रिपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डाला और नीति-निर्धारकों तथा शोधकताओं के लिए इसकी उपयोगिता पर बल दिया। नस्ल के अनुसार डाटा संग्रह करने का काम 20वीं पशुधन गणना, 2019 के साथ किया गया। देश में पहली बार नस्ल के अनुसार डाटा संग्रह का काम किया गया। डाटा एकत्रित करने का काम कागज के स्थान पर टैबलेट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया गया, जो वास्तव में अनूठा प्रयास है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) की मान्यता के आधार पर पशुधन तथा पोल्ट्री पक्षियों की गणना की गई। पशुधन क्षेत्र के महत्व पर विचार करते हुए नीति-निर्धारकों और शोधकताओं के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे पशुधन प्रजातियों की विभिन्न नस्लों का पता लगाएं, ताकि पशुधन प्रजातियों के उत्पाद तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अधिकतम उपलब्धि के उद्देश्य से आनुवंशिक उन्नयन किया जा सके।

नस्ल के अनुसार पशुधन तथा पोल्ट्री रिपोर्ट के प्रमुख आकर्षण इस प्रकार हैं-

- रिपोर्ट में एनबीएजीआर (राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो) द्वारा पंजीकृत 19 चयनित प्रजातियों की 184 मान्यता प्राप्त स्वदेशी / विदेशी और संकर नस्लों को शामिल किया गया है।
- रिपोर्ट में 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं जबकि 4 विदेशी/संकर नस्लें शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार कुल मवेशियों की आबादी में विदेशी और संकर पशु का योगदान लगभग 26.5 प्रतिशत है जबकि 73.5 प्रतिशत स्वदेशी और बिना वर्ग के मवेशी हैं।
- कुल विदेशी/संकर मवेशियों में संकर होल्स्टीन फ्राइज़ियन (एचएफ) के 39.3 प्रतिशत की तुलना में संकर जर्सी का हिस्सा 49.3 प्रतिशत है।
- कुल देशी मवेशियों में गीर, लखीमी और साहीवाल नस्लों का प्रमुख योगदान है।
- भैंस में मुर्रा नस्ल का प्रमुख योगदान 42.8 प्रतिशत है, जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है।
- भेड़ में 3 विदेशी और 26 देशी नस्लें पाई गईं। शुद्ध विदेशी नस्लों में कोरिडेल नस्ल का योगदान प्रमुख रूप से 17.3 प्रतिशत है और स्वदेशी नस्लों में नेल्लोर नस्ल का योगदान 20.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ श्रेणी में सबसे अधिक है।
- देश में बकरियों की 28 देशी नस्लें पाई गई हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल का योगदान 18.6 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है।
- विदेशी/संकर सूअरों में संकर नस्ल के सुअर का योगदान 86.6 प्रतिशत है, जबकि यॉर्कशायर का योगदान 8.4 प्रतिशत है। स्वदेशी सूअरों में डूम नस्ल का योगदान 3.9 प्रतिशत है।
- घोड़ा तथा टट्टुओं में मारवाड़ी नस्ल का हिस्सा प्रमुख रूप से 9.8 प्रतिशत है।
- गधों में स्पीति नस्ल की हिस्सेदारी 8.3 प्रतिशत है।
- ऊँट में बीकानेरी नस्ल का योगदान 29.6 प्रतिशत है।
- कुक्कुट एवं देसी मुर्गी में असील नस्ल मुख्य रूप से बैकयार्ड कुक्कुट पालन और वाणिज्यिक कुक्कुट फार्म दोनों में योगदान करती है। ●

सबसे पहले काम आने वाली 'आशा दीदी'

मुझे इस बात की खुशी है कि आशा कार्यकताओं की पूरी टीम को डब्ल्यूएचओ महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सभी आशा कार्यकताओं को बधाई। वे एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नमस्ते मैडम! मैं...आशा कार्यकर्ता। आपका बुखार कैसा है? आपने अपनी दवाई ली या नहीं?

कोविड से लड़ाई के दौरान देश के अधिकतर क्षेत्रों में घरों पर दस्तक के साथ या फोन की घंटी के बाद यह आवाज हम लोगों ने सुनी है। यह देश की उन 10 लाख से अधिक आशा कार्यकताओं में किसी भी एक की आवाज हो सकती है, जिन्होंने कुपोषण से लेकर शिशु-मातृ टीकाकरण तक हर कदम पर आगे आकर लड़ाई लड़ी।

2020 में जब देश कोविड के दुष्चक्र में फंसा तो 'आशा दीदी' के नाम से जानी जाने वाली इन्हीं आशा कार्यकताओं ने घर-घर जाकर लोगों के यात्रा से जुड़ी जानकारी जुटाने से लेकर, स्वास्थ्य समस्याओं का हिसाब-किताब रखा तो लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया। विश्व के सबसे बड़े और मुफ्त टीकाकरण अभियान को घर-घर तक पहुंचाने और सफल बनाने में इन कार्यकताओं का अहम योगदान है। इसी का नतीजा है कि 31 मई तक 193 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज देकर भारत ने कोविड से लड़ाई में पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। इसी प्रतिबद्धता को सम्मान देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

तेजी से जारी बच्चों का टीकाकरण

अभी तक कोविड टीकाकरण से वंचित नागरिकों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए देशभर में 1 जून से 'हर घर दस्तक 2.0' अभियान की शुरुआत हुई। 31 मई तक भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 193.45 करोड़ के पार पहुंच गया जबकि आयु समूह 12-14 वर्ष के लिए 3.39 करोड़ टीके की पहली खुराक दी गई। 31 मई तक भारत के सक्रिय मामले 17,883 हैं वहीं पिछले 24 घंटों में 2,338 नए मामले दर्ज किए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत और साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.61 प्रतिशत है।

गांवों में संपर्क का पहला बिंदु आशा

भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा आशा वॉलंटियर भारतीय सरकार से संबद्ध हेल्थकेयर कर्मचारी होती हैं, जो ग्रामीण भारत में संपर्क का पहला बिंदु हैं। इनमें से कई का नाम देश में कोविड वायरस वैश्विक महामारी के चरम के दौरान घर-घर जाकर इस महामारी के मरीजों की पहचान करने के लिए चर्चा में आया था। ●

पीएम स्वनिधि योजना

सस्ते लोन से तय करें स्वाभिमान की यात्रा

समाज में उपेक्षित अंतिम पंक्ति में बैठा 'कोई पीछे ना छूटे' इसलिए शीर्ष नेतृत्व के 'सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास' के आदर्श वाक्य को ध्यान में रखकर हर वर्ग के लिए योजनाएं न सिर्फ बनाई जा रही हैं बल्कि अंतिम छोर तक तकनीक से जोड़कर लागू भी की जा रही हैं। ऐसी ही योजना है पीएम स्वनिधि, जो गरीबों को तकनीक और आर्थिक समावेशन के साथ बना रही है सशक्त और समृद्ध...

हमारे देश में रेहड़ी-पटरी वालों, ठेला चलाने वालों के वित्तीय समावेशन के बारे में पहले नहीं सोचा गया था। इन्हें कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से मदद असंभव थी। इसलिए ये साहूकारों के चंगुल में फंसते थे, आधा पैसा ब्याज में चला जाता था। इसी हालात को समझते हुए जून, 2020 में सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरूआत की ताकि वो लोग नई शुरुआत कर सकें, अपना काम फिर शुरू कर सकें, उन्हें आसानी से पूंजी मिले। उनको बाहर बहुत ब्याज दे कर रुपये लेने के लिए मजबूर न होना पड़े।

देश के छोटे-बड़े शहरों में, करीब 32 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी जा चुकी है। योजना में करीब 11.45 लाख लोन लेने वालों ने किस्तों में ये पैसा लौटा भी दिया है, 20 हजार रुपये के दूसरे लोन के लिए पात्र बन गए हैं। पौने तीन लाख से अधिक ऐसे हैं जिन्होंने कारोबार बढ़ाने के लिए लोन की दूसरी किस्त भी ले ली है। ये अब डिजिटल लेन-देन करके न सिर्फ कैशबैक ले रहे हैं बल्कि इनकी डिजिटल हिस्ट्री भी बन रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था, 'यह हमारे रेहड़ी पटरी वालों को इतना बड़ा पैसों का कारोबार बिना ब्याज के मिल जाए तो मैं पक्का मानता हूं वह बहुत अच्छा कर लेंगे। अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे, वह अच्छी क्वालिटी का माल बेचना शुरू कर देंगे, ज्यादा बड़ा व्यापार करना शुरू कर देंगे, और आपके नगर में लोगों की सेवा अच्छी होगी।'

पीएम स्वनिधि योजना तकनीक से जोड़कर इतनी सरल बनाई गई है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति आसानी से जुड़ सके। कागज जमा करने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, कॉमन सर्विस सेंटर, स्थानीय शहरी निकाय या बैंक में जाकर औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं। सही समय पर लोन भुगतान और डिजिटल भुगतान को अपनाकर 7 फीसदी के ब्याज की सब्सिडी ले सकते हैं। इसके अलावा 'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम को भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है ताकि रेहड़ी पटरी वालों का जीवन आसान बने। ये पहली बार हुआ है कि लाखों रेहड़ी-पटरी वालों को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है, उनको एक पहचान मिली है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि से स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन, और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का अहम पड़ाव है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 27 अप्रैल 2022 को रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ते ऋण वाली योजना को दिसंबर, 2024 तक मंजूरी दे दी है। इस योजना में ऋण देने के लिये 5,000 करोड़ रुपये की रकम रखी है जिसके बाद कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये हो गई है। जिससे रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मिलेगी, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। उम्मीद जताई गई है कि इससे लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

स्वनिधि से समृद्धि

- पीएम स्वनिधि का उद्देश्य, कोविड -19 महामारी के दौरान प्रभावित फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को फिर से अपना करोबार शुरू करने के लिए कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर गारंटीमुक्त पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- पहली बार 10 हजार रुपये का ऋण दिया जाता है। इस ऋण का सही समय से भुगतान करने पर दूसरी बार में 20 हजार रुपये और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये ऋण की सुविधा दी जाती है।
- प्रत्येक 3 महीने में वार्षिक 7 प्रतिशत दर से ब्याज सब्सिडी के तौर पर प्रोत्साहन दिया जाता है।
- डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देने के लिए मासिक 100 रुपये और वार्षिक 1,200 तक का कैशबैक दिया जाता है।
- वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर इस योजना की अधिक जानकारी के साथ लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। ●

भारतीय संस्कृति की मूलाधार-गौ

परम श्रद्धेय गणिवर्य डॉ. राजेन्द्र विजय जी महाराज साहब

गौ हमारी सभ्यता और संस्कृति का मेरूदंड है। गौ–विहीन भारतीय संस्कृति की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। गौ हमारी राष्ट्र लक्ष्मी है। वह हमारी समृद्धि की आधारशिला है। गौ ने हमें जीवनदायिनी शक्ति दी है। हमें आरोग्य, आनंद और शांति प्रदान की है। गौ हमारी सारी आर्थिक योजनाओं और सारी आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत है।

गौ हमारी संस्कृति का प्राण है। गौ-पालन, गौ-सेवा हमारी संस्कृति की महान परंपरा है। गौ-सेवा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। यह लक्ष्मी प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति का साधन है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत आदि सभी पदार्थ श्रुति आरोग्यप्रद, आयुवर्धक और शक्तिवर्धक है।

महाभारत के अनुशासन पर्व (51/33) में लिखा है-

गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः। भावः कामदुहो देव्यो नान्यत् किंचित् परं स्मृतम्।।

अर्थात गौएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं, गौएं स्वर्ग में भी पूजनीय हैं। गौएं समस्त मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली हैं। अतः गौओं से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है।

पुराणों में लिखा है कि सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ और ब्राह्मणों की उत्पत्ति यज्ञ-चक्र चलाने के प्रयोजन से हुई। ब्राह्मण द्वारा यज्ञानुष्ठान संपादित किये जाते हैं। अग्नि द्वारा देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं और गौ ही हमें देवताओं को अर्पित करने योग्य छवि प्रदान करती है। गौघृत से ही देवताओं को हवि दी जाती है तथा गौसंतति (बैलों) द्वारा भूमि को जोतकर गेहूं, चावल, जौ, तिल आदि हविस्यान्न का उत्पादन किया जाता है। यज्ञभूमि को गौमूत्र से शुद्ध करके गोबर के कंडों द्वारा यज्ञाग्नि प्रज्जवलित किया जाता है। यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व शरीर शुद्धि के लिए पंचगव्य लेना होता है जो गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र और गोबर से बनाया जाता है।

गौओं के सम्मान की गाथाएं हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। सम्राट दिलीप ने गौ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में संकोच नहीं किया। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि जमदग्नि, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह सभी महान गौभक्त थे। मुसलमान सेनानायक जब यह अनुभव करते थे कि वे यहां के वीर राजपूत योद्धाओं से मोर्चा न ले सकेंगे तो अपनी सेना के आगे गायें कर देते थे। वीर राजपूत पराधीनता स्वीकार कर लेते थे, लेकिन गौओं पर कभी शस्त्र नहीं उठाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गौओं की हत्या पूर्णतः त्याज्य है क्योंकि इससे राजा और प्रजा दोनों का समूल नाश हो जाता है।

गौ हमारी सभ्यता और संस्कृति का मेरुदंड है। गौ-विहीन भारतीय संस्कृति की तो कल्पना

ही नहीं की जा सकती। गौ हमारी राष्ट्र लक्ष्मी है। वह हमारी समृद्धि की आधारशिला है। गौ ने हमें जीवनदायिनी शक्ति दी है। हमें आरोग्य, आनंद और शांति प्रदान की है। गौ हमारी सारी आर्थिक योजनाओं और सारी आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत है। गौ प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म और संस्कृति की मूलाधार रही है। वेद, स्मृतियां, पुराण सभी गौ की उत्कृष्ट महिमाओं से ओतप्रोत है। स्वयं वेद गाय को नमन करता है-

अघ्न्य ते रूपाय नमः।

हे अघ्न्या गौ, तेरे स्वरूप को प्रणाम है। अघ्न्या का अर्थ है अवध्य, अर्थात जो वध के योग्य नहीं है।

भारतीय संस्कृति मानवेतर प्राणियों में गाय को सर्वाधिक महत्व देती है। गाय उसी प्रकार रक्षणीया है जिस प्रकार हम भूमि और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। गाय, गंगा, गीता और गायत्री- ये चारों हिंदू धर्म भवन के चार सुदृढ़ स्तंभ हैं। इनसे निर्मित हिन्दू धर्म भवन के मध्य गोविंद भगवान विराजमान हैं। हर आस्तिक हिन्दू की अंतिम लालसा होती है कि उसके मरते समय गोदान किया जाए, अंतिम सांस के निकलने के पूर्व मुंह में गंगा जल डाला जाए, गीता का पाठ हो और गायत्री का जप हो।

गोदुग्ध अमृत है, गंगाजल पवित्र एवं तारक है। गीता निष्काम कर्म द्वारा ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचा देती है और गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को पवित्र एवं परिष्कृत करता है, विवेक को पुष्ट करता है तथा परमात्मा का पावन प्रकाशमय द्वार खोलता है। अतः गाय, गंगा, गीता और गायत्री- ये चारों शब्द हिन्दू संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। इनको सबल रूप में पाकर ही हमारी यह उदार एवं उदात्त आर्य संस्कृति विश्व में अपना विशिष्ट एवं श्रेष्ठ स्थान बनाये हुए है। पर विडंबना यह है कि आज हमारी ही गलतियों के कारण, अपनी भूलों के कारण इन चारों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है।

गाय हमारी कृषि-परंपरा की आधारशिला रही है। प्राचनीकाल से ही ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति दोनों की आधारशिला गाय ही रही है। ऋषियों के आश्रम गायों से सुशोभित रहते थे। गौसेवा कर गोदुग्ध से अपनी मेधा को पवित्र कर आश्रमों व गुरुकुलों के छात्र गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और अपने चरित्र की धवलता से मानवता के पथ का विस्तार करते थे तथा वे 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना को एवं 'सर्वभूतहिते रक्षा' के भाव को विकसित करते थे। गोसेवा हमारे पूर्वज ऋषियों की सबसे बड़ी देन है। गौवंश के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए ही हमारे भगवान श्रीकृष्ण गोकुल में आते हैं और गौसेवा करके अपना 'गोपाल' नाम सार्थक करते हैं। गोवर्धन पर्वत द्वारा ब्रज की रक्षा करके गोसंवर्धन का मूलमंत्र प्रदान करते हैं।

प्राचीन भारत गौ संस्कृति पर आधारित है। ब्रह्ममुहूर्त में ही नर-नारी जागकर गोवंश की सेवा शुरू करते, सानी-पानी देते, नारियां गोरस मंथन करती, दूध-दही का वितरण होता। सारा वातावरण गोरसमय हो उठता। जनसमूह गोरस से पवित्र एवं पुष्ट होता, प्राण और प्रकाश का नवागम होता और कृषि-संस्कृति के लिए

> गाय दरवाजे की शोभा ही नहीं, वह श्रीसंपदा है, लक्ष्मी है, धरती की भांति पूज्या है। जिस वात्सल्य रस की इतनी महिमा है वह गाय के अपने बछड़े के प्रति अहैतुक स्नेह को देखकर ही है। सचमुच गाय हमारी मां है।

सामग्री तैयार होती। गाय का बछड़ा बैल बनकर खेत जोतता, गाय का गोबर उत्कृष्ट खाद बनकर कृषि को समृद्ध करता, गोमूत्र कीटनाशक बनता, अनेक बीमारियों से त्राण दिलाता। गाय का दूध, गाय की दही, गाय का मक्खन लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अमृत है। सभी प्रकार के विटामिन सम्मिलित रूप में भी गोदुग्ध की बराबरी नहीं कर सकते। गाय दरवाजे की शोभा ही नहीं, वह श्रीसंपदा है, लक्ष्मी है, धरती की भांति पूज्या है। जिस वात्सल्य रस की इतनी महिमा है वह गाय के अपने बछड़े के प्रति अहैतुक स्नेह को देखकर ही है। सचमुच गाय हमारी मां है।

आज भारतवर्ष में गोवंश की हत्या जिस रूप में हो रही है। विदेशी मुद्रा के लोभ में गोमांस भेजा जा रहा है। यह अत्यंत दुख का विषय है।

आयुर्वेदिक ग्रंथों में गाय की बड़ी महिमा गायी गयी है। धार्मिक अनुष्ठानों में पंचगव्य का प्रयोग सर्वविदित है। गाय का गोबर इतना पवित्र माना जाता है कि उससे लीपे बिना पूजा अथवा यज्ञस्थल पवित्र नहीं होता। गोबर में आश्चर्यजनक रोग-निवारक गुण पाये जाते हैं। इसकी गंध से हानिकारक विषैले जीव-जंतु मर जाते हैं।

गोमूत्र के बारे में प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ 'भाव प्रकाश' कहता है कि यह चटपटा, कड़ुआ, तीक्ष्ण, गर्म, खारा, कसैला, हल्का, अग्निप्रदीपक, मेधा के लिए हितकर, कफ, वात, शूल, गुल्म, उदर, खुजली, नेत्र रोग, मुख रोग, किलास, आमवात रोग, वस्ति रोग, कोढ़, खांसी, श्वास, सजन, कामला एवं पांडु रोगनाशक है। कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है।

अंग्रेजी दवाओं से प्रथम चरण में फाइलेरिया को कुछ दिनों के लिए भले ही दबा दिया जाए, किन्तु पतले धागे की तरह लंबे इसके कीड़ों को केवल गोमूत्र से ही समाप्त किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि ये कीड़े शरीर के भीतर रात में डोलकर पीड़ा पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य को चैपट कर देते हैं। फाइलेरिया से पीड़ित कई व्यक्तियों ने चालीस दिन तक लगातार गौमूत्र पीकर फाइलेरिया से मुक्ति पायी है। यह मेरा अनुभव है।

यह सत्य है कि गौवंश से संपूर्ण भातर उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि अनादिकाल से इस पर हमारा भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन आधारित रहा है, किन्तु इधर कुछ दशकों से वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण कृषि का मशीनीकरण हो गया और बाजारू डिब्बेबंद घृत और दूध से लोग अब काम चलाने लगे हैं। ऐसी दशा में हमें गोवंश अर्थहीन-सा प्रतीत होने लगा है।

नास्तिकता, स्वेच्छाचरण एवं धर्म दर्शन के प्रति उपेक्षित भाव होने के कारण गाय के धार्मिक एवं पारंपरिक मूल्यों को लोग भूल गये हैं। यही कारण है कि आज गोवंश पर हथियार उठाने में कोई हिचक और भय नहीं रह गया। गोवंश की रक्षा के लिए आंदोलन और सत्याग्रह करने वालों की कमी नहीं है किंतु इसमें सफलता तभी मिलेगी जब संपूर्ण मानव समाज को गौ महिमा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। गाय धरती के लिए वरदान है- प्राणी जब यह समझ जाएगा तो उसकी रक्षा में वह स्वयं तत्पर होगा। ●

अरहर की खेती की उपयोगी जानकारी

अब वह दिन भूल जाइए जब लोग कहा करते थे कि 'घर की मुर्गी दाल बराबर', क्योंकि दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत दलहन उत्पादन में पूरी दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। इसके बावजूद दालों की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी है। सरकार के अनेक उपापों के बावजूद दालों की कीमतों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। प्रस्तुत है दालों में सबसे स्वादिष्ट अरहर के अच्छे उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी...

■ **कृषि चौपाल**

भारत विश्व में दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देश में दलहनी फसलें 2 करोड़ 38 लाख हेक्टेयर रकबे पर बोयी जाती हैं, जिनकी उत्पादकता केवल 622 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है जो कि अन्य विकसित देशों के मुकाबले में बहुत कम है। मध्य प्रदेश में दलहनी फसलें 50.4 लाख हेक्टेयर भूमि में उगायी जाती हैं। दलहनी पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ये फसलें खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा अधिक सूखारोधी होती हैं, इसलिये सूखा ग्रस्त प्रदेशों में भी इससे अधिक उपज मिलती है। कम अवधि की दलहनी फसलें अंतरवर्तीय व बहुफसल पद्धति में उपयुक्त होती हैं। दालें प्रोटीन का सशक्त स्त्रोत होती हैं, यही कारण है कि ये हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा हैं। खरीफ की दलहनी फसलों में अरहर प्रमुख है। मध्य प्रदेश में अरहर को लगभग 4.75 लाख हेक्टर क्षेत्र में बोया जाता है और औसतन 842 किलो ग्राम प्रति हेक्टर उत्पादन होता है। उन्नत तकनीक से अरहर का उत्पादन दो गुना किया जा सकता है।

भूमि का चुनाव एवं तैयारी

इसे विविध प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है, पर हल्की रेतीली दोमट या मध्यम भूमि जिसका पी.एच.मान 7-8 के बीच हो व समुचित जल निकासी वाली हो इस फसल के लिये उपयुक्त है। गहरी भूमि व पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में मध्यम अवधि की या देर से पकने वाली जातियां बोनी चाहिए। हल्की रेतीली कम गहरी ढलान वाली भूमि में व कम वर्षा वाले क्षेत्र में जल्दी पकने वाली जातियां बोना चाहिए। देशी हल या ट्रेक्टर से दो-तीन बार खेत की गहरी जुताई करे व पाटा चलाकर खेत को समतल करें। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें।

बोने का समय, बीज की मात्र व तरीका

अरहर की बुआई वर्षा प्रारंभ होने के साथ ही कर देनी चाहिए। सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुआई करें। जल्दी पकने वाली जातियों में 25-30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर एवं मध्यम पकने वाली जातियों में 15 से 20 किलोग्राम

बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। कतारों के बीच की दूरी शीघ्र पकने वाली जातियों के लिए 30 से 45 से.मी व मध्यम तथा देर से पकने वाली जातियों के लिए 60 से 75 सें.मी. रखना चाहिए। कम अवधि की जातियों के लिए पौध अंतराल 10-15 से.मी. एवं मध्यम तथा देर से पकने वाली जातियों के लिए 20 - 25 से.मी. रखें।

बीजोपचार

बुआई के पूर्व फफूंदनाशक दवा से बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। 2 ग्राम थायरस के साथ ग्राम कार्बेन्डेजिम फफूंदनाशक दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। उपचारित बीज को रायजोबियम कल्चर 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। पी.एच.बी. कल्चर का उपयोग करें।

जातियों का चुनाव

भूमि का प्रकार, बोने का समय, जलवायु आदि के आधार पर अरहर की जातियों का चुनाव करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हों बहुफसलीय फसल पद्धति हो या रेतीली हल्की ढलान वाली व कम वर्षा वाली असिंचित भूमि हो तो जल्दी पकने वाली जातियां बोनी चाहिए। मध्यम गहरी भूमि में जहां पर्याप्त वर्षा होती हो और सिंचित एवं असिंचित स्थिति में मध्यम अवधि की जातियां बोनी चाहिए।

उर्वरक का प्रयोग

बुवाई के समय 20 किग्रा. नत्रजन 50 किग्रा स्फुर 20 किग्रा पोटाश व 20 किग्रा गंधक प्रति हेक्टेयर कतारों में बीज के नीचे दिया जाना चाहिए। तीन वर्ष में एक बार 25 कि.ग्रा जिंक सल्फेट का उपयोग आखरी बखरीनी पूर्व बुरकाव करने से पैदावार में अच्छी बढ़त होती है।

सिंचाई

जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहां एक सिंचाई फूल आने पर व दूसरी फलियां बनने की अवस्था पर करने से पैदावार अच्छी होती है।

खरपतवार प्रबंधन

खरपतवार नियंत्रण के लिए 20-25 दिन में पहली निराई तथा पफूल आने से पूर्व दूसरी निराई करें। पेन्डीमेथीलिन 1.25 किग्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद प्रयोग करने से निराई नियंत्रण होता है। निराईनाशक प्रयोग के बाद एक निराई लगभग 30 से 40 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए।

पौध संरक्षण

1. उकटा रोग: इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। यह फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारणतया फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई देते हैं। नवम्बर से जनवरी महीनें के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। पौधा पीला होकर सूख जाता है। इससें जडें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पायी जाती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे सी-11 जवाहर के.एस-7 बी.एस.एम.आर-853, आशा आदि बो सकते हैं। उन्नत जातियों का बीज बीजोपचार करके ही बोयें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतरवर्तीय फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम होता है।

2. बांझपन विषाणु रोग: यह रोग विषाणु (वायरस) से फैलता है। इसके लक्षण पौधे के ऊपरी शाखाओं में पत्तियां छोटी, हल्के रंग की तथा अधिक लगती हैं और फूल-फली नहीं लगती है। रोगग्रस्त पौधों में पत्तियां अधिक लगती हैं। यह रोग माइट मकड़ी के द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम हेतु रोग रोधी किस्मों को लगाना चाहिए।

3. फायटोपथोरा झुलसा रोग: रोग ग्रसित पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसकी रोकथाम हेतु 3 ग्राम मेटेलाक्सील फफूंदनाशक दवा प्रति किलो ग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। बुआई पाल पर करना चाहिए और मूंग की फसल साथ में लगायें।

कीट नियंत्रण

दलहनी फसल पर प्रायः इल्ली कीट का आक्रमण होता है। फली छेदक इल्लियों के नियंत्रण के लिए फेनवलरेट 0.4 प्रतिशत चूर्ण या क्लीनालफास 1.5 प्रतिशत चूर्ण या इन्डोसल्फान 4 प्रतिशत चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बुरकाव करें या इन्डोसलफॉन 35 ईसी. 0.7 प्रतिशत या क्वीनालफास 25 ई.सी 0.05 प्रतिशत या क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 0.6 प्रतिशत या फेन्वेलरेट 20 ई.सी 0.02 प्रतिशत या एसीफेट 75 डब्लूपी 0.0075 प्रतिशत या ऐलेनिकाब 30 ई.सी 500 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर या प्राफेनोफॉस 50 ई.सी एक लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। दोनों कीटों के नियंत्रण हेतु प्रथम छिड़काव सवार्गीण कीटनाशक दवाई का करें तथा 10 दिन के अंतराल से स्पर्श या बहुउद्देश्यीय कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें। कीटनाशक का तीन छिड़काव या बुरकाव पहला फूल बनने पर दूसरा 50 प्रतिशत फूल बनने पर और तीसरा फली बनने की अवस्था पर करना चाहिए।

विशेष: इन्डोसल्फान 35 ई.सी 0.07 प्रतिशत का छिड़काव करें। यह लाभदायी कीट केम्पोलिटेसीस क्लोरिडी नामक कीट के लिए बहुत सुरक्षित पाया गया है।

कटाई एवं गहाई

जब पौंधे की पत्तियां गिरने लगें एवं फलियां सूखने पर भूरे रंग की पड़ जाएं तब फसल को काट लेना चाहिए। खलिहान में 8-10 दिन धूप में सुखाकर ट्रेक्टर या बैलों द्वारा दावन कर गहाई की जाती है। बीजों को 8-9 प्रतिशत नमी रहने तक सुखाकर भंडारित करना चाहिए। उन्नत उत्पादन तकनीकी अपनाकर अरहर की खेती करने से 15-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज असिंचित अवस्था में और 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज सिंचित अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। ●

बहु-उपयोगी फसल है ग्वार

भारत विश्व में सबसे अधिक ग्वार की फसल उगाने वाला देश है। विश्व के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत ग्वार भारत में होता है। हमारे देश के संपूर्ण ग्वार उत्पादक क्षेत्र का करीब 87 .7 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। जबकि देश के पश्चिमी भाग के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्वार एक अति महत्वपूर्ण फसल है।

■ **कृषि चौपाल**

ग्वार एक प्राचीन व बहु-उद्देश्यी रुक्ष दलहन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बीज, चारा, आहार, सब्जी, हरी खाद, एवं ग्वार गम के रूप में प्रचुरता से होता है। ग्वार बीज के एण्डोस्पर्म से मिलने वाला गम बहुत गुणकारी होता है जिसके कारण इसका गम टेक्सटाइल, पेपर, पैट्रोलियम, माइनिंग, कास्मेटिक, तेल, फार्मास्युटिकल विस्फोटक, फोटोग्राफी, तम्बाकू एवं खाद्य उद्योगा के उपयोग में लाया जाता है।

ग्वार कम वर्षा और विपरीत परिस्थितियों वाली जलवायु में भी आसानी से उगायी जा सकती है। भारत विश्व में सबसे अधिक ग्वार की फसल उगाने वाला देश है। विश्व के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत ग्वार भारत में होता है। हमारे देश के संपूर्ण ग्वार उत्पादक क्षेत्र का करीब 87.7 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। जबकि देश के पश्चिमी भाग के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्वार एक अति महत्वपूर्ण फसल है। व्यावसायिक जागरूकता एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बढ़ती मांग और आसमान छूती कीमतों के कारण किसान भाई इसके उत्पादन पर जोर दे रहे हैं।

ग्वार की बीमारियां इसके उत्पादन में कमी का बहुत बड़ा कारण है। उत्तरी-पश्चिमी भारत में पायी जाने वाली ग्वार की प्रमुख बीमारियां, बेक्टीरियल लीफ ब्लाइट (जीवाणु पर्ण अंगमारी), आल्टरनेरिया लीपफ स्पाट, रूट रॉट (जड़ विगलन), विल्ट, तना गलन, पूर्ण आसिता एवं नैक्क्रोसिस (किनारी का सूखना) आदि हैं। फसल में होने वाले नुकसान जीवाणुओं की प्रजाति एवं उनके आक्रमण की तीव्रता पर निर्भर करता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट सबसे भयंकर बीमारी है जो कि फसल को 40 से 50 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा सकती है। 25 से 30 प्रतिशत नुकसान आल्टरनेरिया लीफ स्पाट बीमारी के कारण होता है। जड़ गलन नामक बीमारी शुष्क भूमि में होने वाली सबसे प्रमुख बीमारी है, इसमें संर्पूण पौधा मर जाता है।

जलवायु – ग्वार सूखा सहन करने वाली व गर्म जलवायु की फसल है। यह उन क्षेत्रों में आसानी से उगायी जा सकती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 30-40 सेंमी तक होती है। बीजों के अंकुरण से लेकर जड़ों के विकास के लिए 250 से 300 सें. तापमान उपयुक्त होता है। ग्वार एक प्रकाश संवेदनशील फसल है। अतः इस फसल में फूल व फलियों का निर्माण केवल खरीफ के मौसम में ही होता है। अत्यधिक बरसात व ठंड को यह सहन नहीं कर पाती है। शुष्क और अर्ध-शुष्क दोनों दशाओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है।

भूमि – ग्वार की खेती के लिए उचित जल

निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। यह फसल सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगायी जा सकती है।

खेत की तैयारी – ग्वार की भरपूर पैदावार के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दुसरी जुताई ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, जिससे मृदा नमी संरक्षित रहे। जुताई जून के प्रथम पखवाड़े में करनी चाहिए। इस प्रकार तैयार खेत में खरपतवार कम पनपते हैं। साथ ही वर्षा जल का अधिक संचय होता है। इसी समय पूर्णतया सड़ी हुई गोबर की खाद संपूर्ण खेत में बिखेर कर अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें।

बुवाई का समय – ग्रीष्मकालीन फसल की बुवाई के लिए मध्य फरवरी से मार्च का प्रथम पखवाड़ा उपयुक्त समय है। देरी से बुवाई करने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जबकि वर्षा ऋतु की फसल की बुवाई के लिए मध्य जून-मध्य जुलाई उपयुक्त समय है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जुलाई में वर्षा आगमन के साथ ही ग्वार की बुवाई कर देनी चाहिए। अगर ग्वार के बाद दूसरी फसल नहीं लेनी हो तो ग्वार की बुवाई अगस्त के अंत तक भी की जा सकती है। ग्वार की खेती जायद में भी आसानी से की जा सकती है।

बीज की मात्रा – ग्वार के बीज की मात्र इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस उद्देश्य के लिए उगाया जा रहा है। दाने एवं हरी फलियों के लिए 15 से 18 किग्रा, हरी खाद वाली फसल के लिए 30 से 35 किग्रा तथा चारे वाली फसल के लिए 35 से 40 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।

बीजोपचार – बीजों के अच्छे जमाव व फसल को रोगमुक्त रखने के लिए ग्वार के बीजों को सबसे पहले 2.0 ग्राम बाविस्टिन या कैप्टान नामक फफूंदीनाशक दवा से प्रति किलो बीज की दर से अवश्य उपचारित करें। पौधों की जड़ों में गांठों का अधिक निर्माण हो व वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में अधिक यौगिकीकरण हो, इसके लिए बीजों को राइजोबियम नामक जीवाणु से उपचारित करना बहुत जरूरी है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हेतु राइजोबियम जीवाणु के 200 ग्राम के दो पैकेट पर्याप्त होते हैं। बीज किसी विश्वसनीय संस्था से खरीदा है तो उसे फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह बीज पहले से ही उपचारित होता है। भूमि जनित रोग जैसे उखठा की रोकथाम के लिए 2.5 किग्रा ट्राइकोडर्मा प्रजाति 100 किग्रा सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलायें।

बुवाई की विधि – अधिक पैदावार के लिए ग्वार की बुवाई हमेशा पंक्तियों में करें। बुवाई हल के कुड़ों में अथवा सीडड्रिल की सहायता से करें। कुड़ों में पौधों की जड़ों के पास वर्षा जल भी अधिक संग्रहित होता है। इससे पैदावार अधिक मिलती है और फसल की देखभाल करने में भी आसानी रहती है। भरपूर पैदावार हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंमी आदर्श मानी जाती है। बुवाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए जिससे बीज का जमाव शीघ्र व पर्याप्त मात्र में हो सके। बुवाई उत्तर-दक्षिण दिशाओं में ही करें जिससे सभी पौधों को सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्र में और लम्बी अवधि तक मिलता रहे। बुवाई कभी भी छिटकवां विधि से न करें। जिन क्षेत्रों में जल निकास की समस्या रहती है वहां जलभराव होने पर पानी को तुरंत खेत से बाहर निकाल दें।

उन्नतशील प्रजातियां – ग्वार की उन्नतशील प्रजातियों को मुख्यतः तीन भागों दाने, चारे व हरी फलियों के रूप में बांटा जा सकता है।

- दाने के लिए- मरू ग्वार, आरजीसी-986, आरजीसी-1002, आरजीसी-1066, आरजीसी-936, एच.जी. 2-20, एच.जी. 365, दुर्गाजय, अगेती ग्वार-111, दुगार्पुरा सफेद, एफएस-277, आरजीसी-197, आरजीसी-417
- हरी फलियों हेतु- आईसी-1388, पी-28-1-1, गोमा मंजरी, एम-83, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नवबहार, शरद बहार।
- हरे चारे हेतु- एचएफजी-119, एचएफजी-156, ग्वार क्रांति, मक ग्वार, बुंदेल ग्वार-1, बुंदेल ग्वार-2, आरआई-2395-2, बुंदेल ग्वार-3, गोरा-80

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन – दलहनी फसल होने के कारण सामान्यतः ग्वार की फसल में उर्वरकों की कम आवश्यकता पड़ती है। ग्वार का बेहतर उत्पादन लेने के लिए 20-25 किग्रा नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फास्फोरस, 20 किग्रा सल्फर की सिफारिश वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। सभी उर्वरक बुवाई के समय या अंतिम जुताई के समय देने चाहिए। फास्फोरस के प्रयोग से न केवल चारे की उपज में वृद्धि होती है बल्कि उसकी पौष्टिकता भी बढ़ती है। हल्की मृदाओं में 300-400 कुंतल गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग खेत में अंतिम जुताई से पहले समान रूप से बिखेर कर करें। इससे मृदा में नमी संग्रहण व जीवांश की मात्र बढ़ती है तथा इसके अलावा ग्वार के दाने व फली की गुणवत्ता में बढ़ोतरी एवं मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार होता है।

सिंचाई प्रबंधन – सामान्यतः खरीफ ऋतु में बोयी फसल में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा सामान्य व समय पर न होने पर एक या दो सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बोने के तीन-चार सप्ताह बाद अच्छी वर्षा न हो तो सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई वर्षा समाप्त होने पर अगस्त या सितंबर माह में करना आवश्यक है। अगर ग्वार के बाद रबी की फसल लेनी है तो 15 सितंबर बाद सिंचाई न करें। फलियों के लिए उगायी गयी फसल में सिंचाई का विशेष महत्व है। फूल आने और फलियां बनने के समय मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए अन्यथा फलियों की पैदावार व गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगायी जाने वाली ग्वार की फसल में समय पर वर्षा न हो तो आवश्यकतानुसार एक-दो सिंचाई देकर किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ग्रीष्मकालीन फसल में आवश्यकतानुसार 6-7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण – ग्वार की फसल को खरपतवारों से पूर्णतया मुक्त रखना चाहिए। सामान्यतः फसल बुवाई के 10-12 दिन बाद कई तरह के खरपतवार निकल आते हैं जिनमें मौथा, जंगली जूट, जंगली चरी (बरू) व दूब-घास प्रमुख हैं। ये खरपतवार पोषक तत्वों, नमी, सूर्य का प्रकाश व स्थान के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणामस्वरूप पौधे का विकास व वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। अतः ग्वार की फसल में समय-समय पर निराई-गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। इससे पौंधे की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है तथा जड़ों में वायु संचार भी बढ़ता है। दाने वाली फसल में बेसालिन 1.0 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुवाई से पूर्व मृदा की ऊपरी 8 से 10 सेंमी सतह में छिड़काव करें।

इसके अलावा बुवाई के दो दिन बाद 700 से 800 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमिथेलीन दवा का घोल बनाकर एक हेक्टेयर में छिड़काव करें। सिंचित क्षेत्र में खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए इमेजाथापर 10 प्रतिशत एस.एल. दवा की 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के 30-35 दिन बाद छिड़काव करें।

ग्वार की फसल अन्त: फसल प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी है। इसे खाद्यान्न फसलों जैसे ज्वार, बाजरा व मक्का के साथ अन्त: फसल के रूप में आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा बागवानी फसलों जैसे आंवला, बेर व बेल की दो पंक्तियों के बीच खाली पड़ी जगह पर ग्वार की अन्त: फसल आसानी से ली जा सकती है।

अन्त: फसल प्रणाली – ग्वार की फसल अन्त: फसल प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी है। इसे खाद्यान्न फसलों जैसे ज्वार, बाजरा व मक्का के साथ अन्त: फसल के रूप में आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा बागवानी फसलों जैसे आंवला, बेर व बेल की दो पंक्तियों के बीच खाली पड़ी जगह पर ग्वार की अन्त: फसल आसानी से ली जा सकती है।

फसल चक्र – सामान्यतः ग्वार शुष्क क्षेत्र में मिश्रित खेती के रूप में अधिक उगाई जाती है केवल ग्वार उगाने के लिये पड़त के बाद ग्वार तथा ग्वार-गेहूं सिंचित क्षेत्रों के लिये उपयुक्त होता है।

बीज उत्पादन – ग्वार के बीज उत्पादन हेतु ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष ग्वार की खेती न की गई हो तथा खेत के चारों तरफ ग्वार की फसल नहीं उगाई जा रही हो। बीज को उपचारित कर लोहे की टंकियों में भरकर अच्छी प्रकार से बंद कर देना चाहिए। इस बीज को अगले वर्ष बुवाई के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

- डॉ. ऐ.के. मीणा, डॉ. डी.आर. कुम्हार, एवं डॉ. एस.एल. गोदारा पादप रोग विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान

लोकल के लिए वोकल हुआ देश

एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार

'**वोकल फॉर लोकल**' और गांधी जयंती से लेकर 'मन की बात' कार्यक्रम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वदेशी और खादी के लिए अपील करते हुए आपने कई बार सुना होगा। उनकी इस अपील को लोगों ने हाथों-हाथ लिया है। इसी का असर है कि वित्त वर्ष 2021-22 में खादी की बिक्री 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना के अनुसार यह पहली बार है जबकि देश की किसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनी ने एक वित्त वर्ष में यह आंकड़ा पार किया है। बता दें कि छोटे स्तर पर ग्राहकों द्वारा रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामान एफएमसीजी के दायरे में आते हैं।

अब मेड इन वाराणसी पश्मीना भी

पूरी दुनिया में अपनी साड़ी और गुलाबी मीनाकारी समेत दूसरे हुनर के लिए मशहूर

वाराणसी अब अपनी पश्मीना के लिए भी जाना जाएगा। देश में पहली बार वाराणसी में न केवल पश्मीना उत्पादों की बुनाई और कढ़ाई की गई, बल्कि यहां बने पश्मीना उत्पादों की बिक्री भी शुरू हुई। अभी तक पश्मीना उत्पाद केवल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ही बनते थे और यहीं से इनकी पहचान थी। वाराणसी में बनी पहली पश्मीना शॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। बता दें कि काशी अपनी बुनकरी के लिए तो लेह लद्दाख पश्मीना के धागे के लिए जाना जाता है। वाराणसी में पश्मीना शॉल इसी संयोजन के साथ बनाई जा रही हैं। ●

1,15,415.22 करोड़ रु. रहा कुल व्यापार

- 191% की बढ़ोतरी हुई है 2014 से मार्च 2022 तक केवीआईसी के व्यापार में।
- 332% की बढ़ोतरी हुई है 2014 से मार्च 2022 तक खादी की बिक्री में।
- 5052 करोड़ रुपये के खादी परिधान की बिक्री हुई 2021-22 में। यह पिछले वर्ष से 43.20% ज्यादा है।

पॉलीहाउस में सब्जियों का उत्पादन

■ कृषि चौपाल

पॉलीहाउस (प्लास्टिक के हरित गृह) ऐसे ढांचे हैं जो परम्परागत कांच घरों के स्थान पर बैमौसमी फसलोत्पादन के लिए उपयोग में लाये जा रहे हैं। ये ढांचे बाह्य वातावरण के प्रतिकूल होने के बावजूद भीतर उगाये गये पौधों का संरक्षण करते हैं और बेमौसमी नर्सरी तथा फसलोत्पादन में सहायक होते हैं। साथ ही पॉलीहाउस में उत्पादित फसल अच्छी गुणवत्ता वाली होती है।

पॉली हाउस की संरचना

ढांचे की बनावट के आधार पर पॉलीहाउस कई प्रकार के होते हैं। जैसे- गुंबदाकार, गुफानुमा, रूपांतरित गुफानुमा, झोपड़ीनुमा आदि। पहाड़ों पर रूपांतरित गुफानुमा या झोपड़ीनुमा डिजायन अधिक उपयोगी होते हैं। ढांचे के लिए आमतौर पर जीआई पाइप या एंगिल आयरन का प्रयोग करते हैं जो मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। अस्थाई तौर पर बांस के ढांचे पर भी पॉलीहाउस निर्मित होते हैं जो सस्ते पड़ते हैं। आवरण के लिए 600-800 गेज की मोटी पराबैंगनी प्रकाश प्रतिरोधी प्लास्टिक शीट का प्रयोग किया जाता है। इनका आकार 30-100 वर्गमीटर रखना सुविधाजनक रहता है। निर्माण लागत तथा वातावरण पर नियंत्रण की सुविधा के आधार पर पॉलीहाउस तीन प्रकार के होते हैं।

1. **लो कास्ट पॉलीहाउस या साधारण पॉलीहाउस** – इसमें यंत्रों द्वारा किसी प्रकार का कृत्रिम नियंत्रण वातावरण पर नहीं किया जाता।
2. **मीडियम कास्ट पॉलीहाउस** – इसमें कृत्रिम नियंत्रण के लिए (ठंडा या गर्म करने के लिए) साधारण उपकरणों का प्रयोग करते हैं।
3. **हाई कास्ट पॉलीहाउस** – इसमें आवश्यकता के अनुसार तापक्रम, आर्द्रता, प्रकाश, वायुसंचार आदि को घटा-बढ़ा सकते हैं और मनचाही फसल किसी भी मौसम में ले सकते हैं।

सब्जियों का चुनाव

पॉलीहाउस में बेमौसमी उत्पादन के लिए वही सब्जियां उपयुक्त होती हैं जिनकी बाजार में मांग अधिक हो और वे अच्छी कीमत पर बिक सकें। पर्वतीय क्षेत्रों में जाड़े में मटर, पछेती फूलगोभी, पातगोभी, फ्रेंचबीन, शिमला मिर्च, टमाटर, मिर्च, मूली, पालक आदि फसलें तथा ग्रीष्म व बरसात में अगेती फूलगोभी, भिंडी, बैंगन, मिर्च, पातगोभी एवं लौकी वर्गीय सब्जियां ली जा सकती हैं। फसलों का चुनाव क्षेत्र की ऊंचाई के आधार पर कुछ भिन्न हो सकता है। वर्षा से होने वाली हानि से बचाव के लिए अगेती फूलगोभी, टमाटर, मिर्च आदि की पौध भी पॉलीहाउस में डाली जा सकती है। इसी प्रकार ग्रीष्म में शीघ्र फलन लेने के लिए लौकीवर्गीय सब्जियों टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च की पौध भी जनवरी में पॉलीहाउस में तैयार की जा सकती है।

उन्नत किस्में

टमाटर: सामान्य किस्में- पंत टी-3, पूसा गौरव। संकर किस्में- रूपाली, नवीन, एमटीएच-15, अविनाश-2, मनीषा, नूतन।

बैंगन: सामान्य किस्में- पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, पूसा, उत्तम। संकर किस्में- पंत संकर बैंगन-1, पूसा हाईब्रिड-5, पूसा हाईब्रिड-6, पूसा हाईब्रिड-9

शिमला मिर्च: सामान्य किस्में- केलिफफोर्निया वंडर, योलोवंडर, बुलनोज, चायनीज जायंट। संकर किस्में- भारत, इन्दिरा, लैरियो, हीरा, ग्रीनगोल्ड, डीएआरएल-202

मिर्च: पंत सी-1, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंजाब सुर्ख, अग्नि

मटर: आर्किल, पंत सब्ली मटर-3, पूसा प्रगति, वीएल मटर-7

फ्रेंचबीन: पंत अनुपमा, पंत बीन-2, वी एल बौनी बीन-1, पूसा पार्वती, कन्टेंडर

भिंडी: परभनी क्रान्ति, पंजाब-7, अरका, अनामिका

खीरा: सामान्य किस्में- प्वाइनसेट, जापानी लौंग ग्रीन, फुले शुभांगी। संकर किस्में- पंत संकर खीरा, प्रिया डीएआरएल-101, यूएस-6125, मालनी

लौकी: सामान्य किस्में- पूसा नवीन, कल्याणपुरा हरी लम्बी। संकर किस्में- पंत संकर लौकी-1 व 2, पूसा हाईब्रिड-1

करेला: पंत करेला-1, कल्याणपुर बारामासी, पूसा दोमौसमी

सस्य क्रियायें एंव देखभाल

पॉलीहाउस के भीतर उगाई जाने वाली सब्जियों में वे सभी सस्य क्रियायें करनी पड़ती हैं जिन्हें खुले खेत में अपनानते हैं। गोबर की खाद का भरपूर उपयोग करना चाहिए। बीच-बीच में मिट्टी का निर्जमीकरण आवश्यक होता है जिसके लिए फार्मेलडिहाइड तथा अन्य रसायन या प्लास्टिक शीट बिछाकर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या बढ़ाकर पौधों की उचित छटाई व ट्रेनिंग द्वारा बेलदार फसलों से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। साधारण पॉलीहाउस में दिन में उचित वायुसंचार का प्रबंध अत्यावश्यक है।

उपज तथा आय की संभावनाएं

पंतनगर विश्वविद्यालय में किये गये परीक्षणों में जाड़े में लौकी, खीरा, करेला आदि की बुवाई करके प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र से 18-17 किलोग्राम सब्जियों की पैदावार मिली है। नवंबर के प्रारंभ में लगाये गये टमाटर से 15-20 किलोग्राम तथा सितंबर में लगाई गई शिमला मिर्च से 4-10 किलोग्राम की पैदावार मिली है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ फसल की गुणवत्ता में भी काफी सुधार मिला है। एक 100 वर्गमीटर का एंगिल आयरन का साधारण पॉलीहाउस बनाने में लगभग 30,000 रुपये का खर्च आता है। विवेकपूर्ण पफसलों के उत्पादन से प्रथम दो वर्ष के भीतर ही लागत वसूल हो सकती है। उसके बाद के वर्षों में केवल उत्पादन लागत तथा 4 वर्षों में प्लास्टिक शीट बदलने का खर्चा शेष रहने से काफी मुनाफा कमाने की संभावना रहती है।

पर्वतीय क्षेत्र में पॉलीहाउस

ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहां पर ठंड अधिक पड़ती है तथा ओला एवं विपरीत परिस्थितियां भी रहती हैं वहां पर खुली दशाओं में सब्जियों का उगाना संभव नहीं होता है। साथ ही वर्षा ऋतु में अधिक फसल को नुकसान होता है। इन स्थानों के लिए 'पाली हाउस व ग्लास हाउस' के अंदर फसल उगाना काफी लाभप्रद पाया जाता है तथा इससे कृषक अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। पाली हाउस में विभिन्न सब्जियां जैसे- टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, पत्ता गोभी, मिर्च, लौकी आदि सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं।

> **पहाड़ी क्षेत्र जहां पर ठंड अधिक पड़ती है तथा वर्षा और ओला एवं विपरीत परिस्थितियां भी रहती है वहां पर खुली दशाओं में सब्जियों का उगाना संभव नहीं होता है वहां 'पाली हाउस व ग्लास हाउस' के अंदर फसल उगाना काफी लाभप्रद है।**

टमाटर: निचले पहाड़ी क्षेत्र (घाटियों में)- अक्टूबर। मध्य व ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र- अगस्त में।

शिमला मिर्च: निचले पहाड़ी क्षेत्र (घाटियों में)- अगस्त-सितंबर। मध्य व ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र- मार्च-अगस्त में।

खीरा: निचले पहाड़ी क्षेत्र (घाटियों में)- अक्टूबर। मध्य व ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र- फरवरी-अगस्त में।

टमाटर की रोपाई हेतु पॉलीहाउस के अन्दर भूमि से लगभग 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिए। इन क्यारियों का आकार 1.0 मीटर चैड़ा व 0.15 मीटर ऊंचा तथा लम्बाई आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है। पौध से पौध की दूरी 50 सेंटीमीटर व लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। एक क्यारी में दो लाइन होनी चाहिए। एक क्यारी से दूसरी क्यारी के बीच की दूरी 70 सेंटीमीटर से कम नहीं रखनी चाहिए। क्यारियां समतल हों जिससे सिंचाई में आसानी होती है। क्यारियां तैयार करने के पश्चात फार्मोलिन का 0.2 प्रतिशत (2 मिलीलीटर) का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पॉलीहाउस को एक दिन के लिए बंद रखें। यह छिड़काव पौध लगाने से लगभग 20 दिन पूर्व करना चाहिए। इसके द्वारा फफूंदी से लगने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। टमाटर की फसल के लिए 35 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेअर तथा 150:100:80 किलोग्राम एनपीके खेत की तैयारी के समय डालें। रासायनिक उर्वरकों को पूरे फसल चक्र में तीन भाग बनाकर डालें। उपरोक्त मिश्रण का लगभग 15 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से रोपाई के पहले प्रत्येक कूड़ में दें। रोपाई के 20 दिन बाद 20 ग्राम प्रति पौधा व 50-50 दिन बाद पुनः 10 ग्राम प्रति पौधा देकर पफसल की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी चाहिए।

खाद एवं उर्वरक

प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ग मीटर 3 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में मिलायें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त फसलों में 12-15 ग्राम नत्रजन, 6-9 ग्राम फास्फोरस तथा 6-9 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में दें।

पौधों की काट-छांट व सहारा

टमाटर की अल्प परिमित तथा अपरिमित के सघन रोपण में केवल मुख्य तने को पतली रस्सी की डोरी के सहारे बढ़ने दिया जाता है। शाखाओं को समय-समय पर छांटते रहना चाहिए। किसी भी बेलवाली सब्जी को डण्डे तथा सुतली के सहारे साधना आवश्यक है।

तापक्रम पर नियंत्रण

साधारण पॉलीहाउस में ठंड के समय रात में खिड़की दरवाजे बंद रखे जाते हैं जबकि ग्रीष्म में तापक्रम न बढ़ने देने के लिए दिन रात खुला रखने की आवश्यकता पड़ती है।

पॉलीहाउस के अन्दर फसल चक्र

विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा में किये गये परीक्षण में टमाटर- टमाटर-पालक, शिमला मिर्च-टमाटर-पालक एवं विलायती कद्दू-फ्रेंचबीन-टमाटर-पालक फसल-चक्र अत्यन्त लाभकारी मिला है। ●

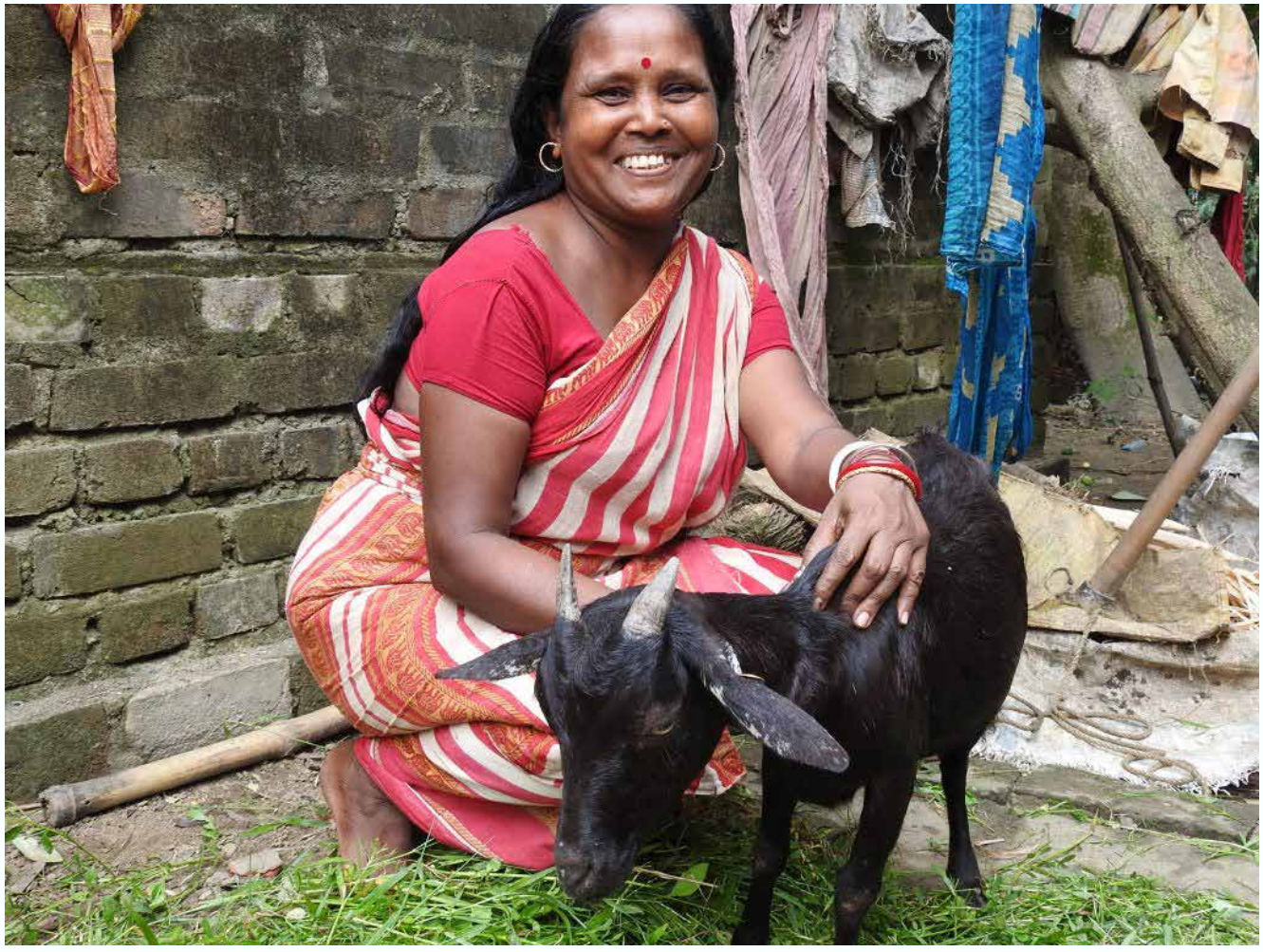

निरंतर आय के लिए बकरी पालन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बकरी को 'गरीब की गाय' कहा करते थे। आज के परिवेश में भी यह कथन महत्वपूर्ण है। आज जब एक ओर पशुओं के चारे–दाने एवं दवाई महंगी होने से पशुपालन आर्थिक दृष्टि से कम लाभकारी हो रहा है, वहीं बकरी पालन कम लागत एवं सामान्य देखरेख में गरीब किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक साधन बन रहा है।

■ **कृषि चौपाल**

बकरी पालन प्रायः सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास, सामान्य रखरखाव तथा पालन-पोषण के साथ संभव है। इसके उत्पाद की बिक्री हेतु बाजार सर्वत्र उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से पशुधन में बकरी का एक विशेष स्थान है। इन गुणों के आधार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बकरी को 'गरीब की गाय' कहा करते थे। आज के परिवेश में भी यह कथन महत्वपूर्ण है। आज जब एक ओर पशुओं के चारे-दाने एवं दवाई महंगी होने से पशुपालन आर्थिक दृष्टि से कम लाभकारी हो रहा है वहीं बकरी पालन कम लागत एवं सामान्य देखरेख में गरीब किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक साधन बन रहा है। इतना ही नहीं इससे होने वाली आय समाज के आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बकरी पालन आसानी से किये जा सकने वाले स्वरोजगार का एक प्रबल साधन बन रहा है।

बकरी पालन मुख्य रूप से मांस, दूध एवं रोंआ (पश्मीना एवं मोहेर) के लिए किया जा सकता है। बकरियों से मांस, दूध, खाल एवं रोंआ के अतिरिक्त इसके मल-मूत्र से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। बकरियां प्रायः चारागाह पर निर्भर रहती हैं। यह झाड़ियां, जंगली घास तथा पेड़ के पत्तों को खाकर हम लोगों के लिए पौष्टिक पदार्थ जैसे मांस एवं दूध उत्पादित करती हैं।

बकरी की विभिन्न उपयोगी नस्लें

संसार में बकरियों की कुल 102 प्रजातियां उपलब्ध है, जिसमें से 20 भारतवर्ष में है। अपने देश में पायी जाने वाली विभिन्न नस्लें मुख्य रूप से मांस उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं। यहां की बकरियां पश्चिमी देशों में पायी जाने वाली बकरियों की तुलना में कम मांस एवं दूध उत्पादित करती हैं क्योंकि वैज्ञानिक विधि

से इसके पैत्रिकी विकास, पोषण एवं बीमारियों से बचाव पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। बकरियों का पैत्रिकी विकास प्राकृतिक चुनाव एवं पैत्रिकी पृथकता से ही संभव हो पाया है। पिछले 25-30 वर्षों में बकरी पालन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण अनुसंधान हुए हैं फिर भी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर गहन शोध की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की ओर से भारत की विभिन्न जलवायु की उन्नत नस्लें जैसे ब्लैक बंगला, बारबरी, जमनापारी, सिरोही, मारबारी, मालावारी, गंजम आदि के संरक्षण एवं विकास से संबंधित योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के विस्तार की आवश्यकता है ताकि विभिन्न जलवायु एवं परिवेश में पायी जाने वाली अन्य उपयोगी नस्लों की विशेषता एवं उत्पादकता की समुचित जानकारी हो सके। बकरी की कुछ प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं-

ब्लैक बंगाल

इस जाति की बकरियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम, उत्तरी ओडिसा एवं बंगाल में पायी जाती है। इसके शरीर पर काला, भूरा तथा सफेद रंग का छोटा रोंआ पाया जाता है। अधिकांश (करीब 80 प्रतिशत) बकरियों में काला रोंआ होता है। यह छोटे कद की होती है वयस्क नर का वजन करीब 18-20 किलो ग्राम होता है जबकि मादा का वजन 15-18 किलो ग्राम होता है। नर तथा मादा दोनों में 3-4 इंच का आगे की ओर सीधे निकले हुए सींग पाये जाते हैं। इसका शरीर गठीला होने के साथ-साथ आगे से पीछे की ओर ज्यादा चौड़ा तथा बीच में अधिक मोटा होता है। इसके कान छोटे, खड़े एवं आगे की ओर निकले रहते हैं। इस नस्ल की प्रजनन क्षमता काफी अच्छी है। औसतन यह 2 वर्ष में 3 बार बच्चा देती है एवं एक वियान में 2-3 बच्चों को जन्म देती है। कुछ बकरियां एक वर्ष में दो बार बच्चे पैदा करती हैं तथा एक बार में 4-4 बच्चे देती हैं। इस नस्ल की मेमना 8-10 माह की उम्र में वयस्कता प्राप्त कर लेती है तथा औसतन 15-16 माह की उम्र में प्रथम बार बच्चे पैदा करती है। प्रजनन क्षमता काफी अच्छी होने के कारण इसकी आबादी में वृद्धि दर अन्य नस्लों की तुलना में अधिक है। इस जाति के बकरे का मांस काफी स्वादिष्ट होता है तथा खाल भी उत्तम कोटि की होती है। इन्हीं कारणों से ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां मांस उत्पादन हेतु बहुत उपयोगी हैं। परन्तु इस जाति की बकरियां अल्प मात्रा (15-20 किलो ग्राम/वियान) में दूध उत्पादित करती हैं जो इसके बच्चों के लिए अपर्याप्त है। इसके बच्चों का जन्म के समय औसत वजन 1.0-1.2 किलो ग्राम ही होता है। इस नस्ल की बकरियों से बकरी पालकों को सीमित लाभ ही प्राप्त होता है।

जमुनापारी

जमुनापारी भारत में पायी जाने वाली अन्य नस्लों की तुलना में सबसे ऊंची तथा लम्बी होती है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिला एवं गंगा, यमुना तथा चम्बल नदियों से घिरे क्षेत्र में पायी जाती है। एंग्लोनुवियन बकरियों के विकास में जमुनापारी नस्ल का विशेष योगदान रहा है। इसका नाक काफी उभरा होता है जिसे 'रोमन' नाक कहते हैं। सींग छोटे एवं चौड़े होते हैं। कान 10-12 इंच लंबे-चौड़े मुड़े हुए तथा लटकते रहते हैं। इसके जांघ में पीछे की ओर काफी लंबे घने बाल रहते हैं। इसके शरीर पर सफेद एवं लाल रंग के लम्बे बाल पाये जाते हैं। इसका शरीर बेलनाकार होता है। वयस्क नर का औसत वजन 70-90 किलो ग्राम तथा मादा का वजन 50-60 किलोग्राम होता है। इसके बच्चों का जन्म समय औसत वजन 2.5-3 किलो ग्राम होता है। इस नस्ल की बकरियां अपने गृह क्षेत्र में औसतन 1.5 से 2.0 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती हैं। इस नस्ल की बकरियां दूध तथा मांस उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं। बकरियां सलाना बच्चों को जन्म देती है तथा एक बार में करीब 90 प्रतिशत एक ही बच्चा उत्पन्न करती हैं। इस जाति की बकरियां मुख्य रूप से झाड़ियां एवं वृक्ष के पत्तों पर निर्भर रहती हैं। जमनापारी सभी जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

बीटल

बीटल नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिला के बटाला अनुमंडल में पायी जाती हैं। पंजाब से लगे पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी इस नस्ल की बकरियां उपलब्ध हैं। इसका शरीर भूरे रंग पर सफेद-सफेद धब्बा या काले रंग पर सपफेद धब्बा लिये होता है। यह देखने में जमनापारी बकरियां जैसी लगती है परन्तु ऊंचाई एवं वजन की तुलना में जमुनापारी से छोटी होती है। इसके कान लंबे, चौड़े तथा लटके होते हैं। नाक उभरी रहती है। कान की लंबाई एवं नाक का उभरापन जमुनापारी की तुलना में कम होता है। सींग बाहर एवं पीछे की ओर घूमा रहता है। वयस्क नर का वजन 55-65 किलोग्राम तथा

मादा का वजन 45-55 किलोग्राम होता है। इसके वच्चों का जन्म के समय वजन 2.5-3.0 किलो ग्राम होता है। इसका शरीर गठीला होता है। जांघ के पिछले भाग में कम घने बाल रहते हैं। इस नस्ल की बकरियां औसतन 1.25-2.0 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती हैं। इस नस्ल की बकरियां सालाना बच्चे पैदा करती हैं एवं एक बार में करीब 60 प्रतिशत बकरियां एक ही बच्चा देती हैं। बीटल प्रायः सभी जलवायु हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

बारबरी

बारबरी मुख्य रूप से मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका में पायी जाती है। इस नस्ल के नर तथा मादा को पादरियों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम लाया गया। अब यह उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा एवं इससे लगे क्षेत्रों में काफी संख्या में उपलब्ध है। यह छोटे कद की होती है और शरीर काफी गठीला होता है। बाल छोटे होते हैं। शरीर पर सफेद के साथ भूरा या काला धब्बा पाया जाता है। यह देखने में हिरण जैसी लगती है। कान बहुत ही छोटे होते हैं। थन अच्छे विकसित होते हैं। वयस्क नर का औसत वजन 35-40 किलोग्राम तथा मादा का वजन 25-30 किलोग्राम होता है। यह घर में बांध कर पाली जा सकती है। इसकी प्रजनन क्षमता भी काफी विकसित है। दो वर्ष में तीन बार बच्चों को जन्म देती है तथा एक वियान में औसतन 1.5 बच्चों को जन्म देती है। ये बकरियां मांस व दूध उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं।

सिरोही

सिरोही नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से राजस्थान के सिरोही जिले में पायी जाती हैं। यह गुजरात एवं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं। इस नस्ल की बकरियां दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है लेकिन मांस उत्पादन के लिए भी यह उपयुक्त है। इसका शरीर गठीला एवं रंग सफेद, भूरा या सफेद एवं भूरे का मिश्रण लिये होता है। इसका नाक छोटा परन्तु उभरा रहता है। कान लंबे होते हैं। पूंछ मुड़ी हुई एवं पूंछ के बाल मोटे तथा खड़े होते हैं। बाल मोटे एवं छोटे होते हैं। यह सलाना एक वियान में औसतन 1.5 बच्चे उत्पन्न करती है। इस नस्ल की बकरियों को बिना चराये भी पाला जा सकता है।

विदेशी बकरियों की प्रमुख नस्लें

अल्पाइन: यह स्विटजरलैंड की है। यह मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इस नस्ल की बकरियां अपने गृह क्षेत्रों में औसतन 3-4 किलो दूध प्रतिदिन देती है।

एंग्लोनुवियन: यह प्रायः यूरोप के विभिन्न देशों में पायी जाती है। यह मांस तथा दूध दोनों के लिए उपयुक्त है। इसकी दूध उत्पादन क्षमता 2-3 किलो प्रतिदिन है।

सानन: यह स्विटजरलैंड की बकरी है। इसकी दूध उत्पादन क्षमता अन्य सभी नस्लों से अधिक है। यह औसतन 3-4 किलो दूध प्रतिदिन अपने गृह क्षेत्रों में देती है।

टोगेनवर्ग: यह भी स्विटजरलैंड की बकरी है। इसके नर तथा मादा में सींग नहीं होते हैं। यह औसतन 3 किलो दूध प्रतिदिन देती है। ●

14 खरीफ फसलों की एमएसपी में इजाफा

केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में यह वृद्धि 4 से 9 फीसदी तक की गई है।

फसल	2022-23 एमएसपी रु./कुंतल में	वृद्धि रु. में
धान(सामान्य)	2040	100
धान(ग्रेड ए)	2060	100
ज्वार(हाइब्रिड)	2970	232
ज्वार(मालदंडी)	2990	232
बाजरा	2350	100
रागी	3578	201
मक्का	1962	92
अरहर	6600	300
मूंग	7755	480
उड़द	6600	300
मूंगफली	5850	300
सूरजमुखी बीज	6400	385
सोयाबीन (पीला)	4300	350
तिल	7830	523
रामतिल	7287	357
कपास(मध्यम)	6080	354
कपास(लंबा)	6380	355

वन्य जीवों से नुकसान होने पर मुआवजा

■ चंद्र सिंह रावत 'स्वतंत्र'

- जंगली जानवरों द्वारा पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाने पर भी मिलेगा मुआवजा।
- वन विभाग ने अलग-अलग पशुओं के निर्धारित की अलग-अलग दरें।

वन विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल, अपंग या मौत होने पर मुआवजे के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीसीसीएफ द्वारा सभी डीएफओ और पार्क निदेशकों को इसका पालन करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वन विभाग द्वारा नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सांप, हाथी, गुलदार, तेंदुआ, सुअर, भालू आदि जानवरों द्वारा यदि किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो उस व्यक्ति के मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर उसके परिजनों को वन विभाग द्वारा जारी नई मुआवजा दरों के अनुसार साधारण रूप से घायल होने पर 15 हजार, गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार, आंशिक रूप से विकलांग होने पर जहां 1 लाख का मुआवजा प्रभावित व्यक्तियों के परिजनों को प्रदान किया जाएगा वहीं व्यक्ति के पूर्ण रूप से विकलांग होने पर 2 लाख एवं मौत होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह पशुओं की क्षति होने पर जहां गाय, भैंस के लिए 30 हजार, घोड़ा, खच्चर के लिए 40 हजार, बैल के लिए 25 हजार, बछड़े के लिए 16 हजार एवं बकरी,भेड़ के लिए 3 हजार रुपए की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है।

गुलदार/बाघ के हमला करने पर नियम

सामान्य परिस्थितियों में गुलदार के आदमखोर होने पर प्रभागीय वनाधिकारी की ओर से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद अनुमति मिलने पर डीएफओ की ओर से गुलदार को मारने के निर्देश दिए जाते हैं। आपको बता दें यह भी सुनिश्चित किया जाता है गुलदार को पिंजड़े में पकड़ कर उसे घने वनों में छोड़ा जा सकता है अथवा नहीं? मारने के आदेश तभी दिए जाते हैं जब यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि अमुक में सुधार हो सकता है अथवा नहीं।

वन्य जीव संरक्षण करना हमारी भी जिम्मेदारी

आज वन्य जीव संरक्षण करना हमारी भी जिम्मेदारी है और उन्हे भी जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए सरकार द्वारा वन्य प्राणियों का आखेट या शिकार करना प्रतिषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी का धारा 1 और धारा 2 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय शिकार नहीं कर सकता है।

वन्य प्राणियों के आखेट की अनुज्ञा

यदि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या ऐसा निःशक्त या रोगी है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिए कारण कथित करते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे प्राणी का आखेट करने या उसका आखेट करवाने की अनुज्ञा दे सकता है।

किसी वन्य प्राणी को मारने का आदेश

किसी वन्य प्राणी को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा प्राणी पकड़ा नहीं जा सकता, प्रशान्त नहीं किया जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और ऐसे पकड़े गए किसी भी प्राणी को तब तक बन्दी बनाकर नहीं रखा जाएगा जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे प्राणी को वन में पुनर्वासित नहीं किया जा सकता।

प्रतिरक्षा में किसी वन्य प्राणी को मारना अपराध नहीं

अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी वन्य प्राणी को सद्भावपूर्वक मारना या घायल करना अपराध नहीं होगा, परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को विमुक्त नहीं करेगी, जो उस समय जब ऐसी प्रतिरक्षा आवश्यक हो गई है, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में कोई कार्य कर रहा था।

उक्त नियम वन्य जीव संगक्षण में उल्लिखित हैं। ●

आजादी की नींव में गुम हो गए जो जनआंदोलन

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी हमारे देश की आजादी। अंग्रेजी दासता का यह लंबा कालखंड विरोध, विद्रोह के कई आंदोलनों से भरा रहा। इस पूरी लड़ाई में कई व्यक्तित्व उभरे, कई घटनाएं हुई, इस अद्भुत क्रांति में असंख्य लोगों ने प्राण न्योछावर किए, घायल हुए। ऐसे कई आंदोलन और कई व्यक्तित्व हैं, जिन्हें इतिहास में एक सम्मानजनक स्थान मिला। लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी हैं, जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गईं। क्रांति की कई घटनाएं 1857 के स्वातंत्र्य समर से पहले भी हुईं लेकिन वो आजादी की नींव बनकर गुम हो गए। आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसी ही कुछ क्रांतियों की कहानी...

दासता के 200 साल से ज्यादा लंबे कालखंड के बाद हमें आजादी यूं ही नहीं मिली। साथ में मिला, बंटबारे का दर्द। इस दर्द के पीछे 3 जून की तारीख बेहद अहम है। क्योंकि इसी दिन भारत को हिस्सों में बांटने वाली योजना पेश की गई थी। वर्ष था,1947 और योजनाकार थे भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। इसीलिए भारत के बंटवारे की इस योजना को 'तीन जून योजना' या 'माउंटबेटन योजना' के तौर पर जाना जाता है। पूरे देश में इसके विरोध में आवाज उठी। लेकिन आखिरकार 15 जून 1947 को कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी योजना के आधार पर भारत को अंग्रेजों से मुक्ति तो मिली लेकिन पाकिस्तान के रुप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भी अलग हो गया। 3 और 15 जून का दिन भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज है क्योंकि इसके बाद हुए विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए और उन्हें विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। माना जाता है कि विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। यह विभाजन मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक है, जिससे लाखों परिवारों को अपने पैतृक गांवों, कस्बों और शहरों को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही कारण है कि राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी

जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में केंद्र सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया। भारत को 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जो राष्ट्र के लिए एक खुशी और गर्व का अवसर है। इस आजादी के लिए हमें कई आंदोलनों, संघर्षों और पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा।

भारत की आजादी के प्रथम सोपान कहे जाने वाले 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ देश में कई

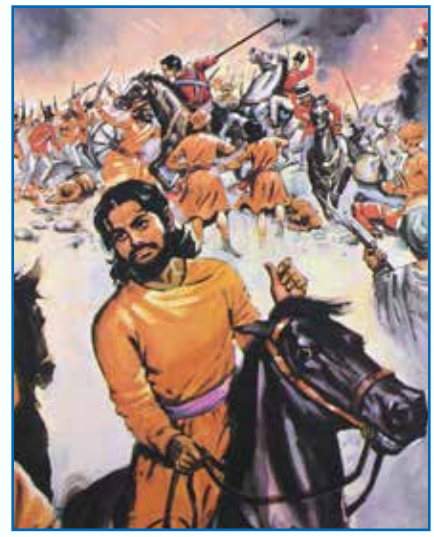

आंदोलन हुए थे। इन आंदोलनों में फकीर आंदोलन (1776-77), सन्यासी आंदोलन, पाड्यगारों का आंदोलन (1801-1805), वेल्लोर आंदोलन (1806), नायक आंदोलन (1806), त्रावणकोर आंदोलन (1808), चेरो आंदोलन (1802), बरेली-अलीगढ़ के आंदोलन (1816-1817), ओडिशा में पायकों का आंदोलन (1821), कित्तूर का आंदोलन (1824), असम में अहोम आंदोलन (1824), पाल और कुर्ग आंदोलन (1832-37), बहाबी आंदोलन (1830-31), गोंड आंदोलन (1833-57), कोल आंदोलन(1824-1850) प्रमुख थे।

आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे ही कुछ आंदोलनों पर संक्षिप्त प्रकाश...

सन्यासी आंदोलन

गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों की छीन ली कोठियां

भारत के इतिहास में 'वंदे मातरम' एक ऐसा उद्घोष है जो हर दौर में, हर व्यक्ति के लिए अपनी मातृभूमि के प्रति एक समर्पित आदरभाव देने का विचार रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों वीरों ने राष्ट्र की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और 'वंदे मातरम' का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे से झूल गए। स्वतंत्रता संग्राम में आजादी का मूल मंत्र बन चुके 'वंदे मातरम' बोलते हुए मातृभूमि के कई सपूतों ने अपने सीने पर गोलियां भी खाई। इस 'वंदे मातरम' को सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास 'आनंद मठ' में लिखा था। इसी पुस्तक में जिक्र है, सन्यासी आंदोलन का। लंबे समय तक चले सन्यासी आंदोलन ने अंग्रेजों को खूब छकाया और इस आंदोलन की अगुवाई गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने की थी। हमारे देश में हमेशा से ऋषियों और सन्यासियों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़कर जनता के हितों के लिए कई काम किए हैं। यही कारण है कि जब जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लोहा लिया। ऐसे में उन्होंने न केवल राष्ट्रधर्म की स्थापना की बल्कि युगधर्म की हुंकार बनकर भी सामने आए।

सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल और बिहार की धरती पर ही हुआ, क्योंकि यहीं अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने पांव जमाए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह वस्तुतः सन्यासियों का ही माना जाता है और कहा जाता है कि इस आंदोलन में कई हजार लोग मारे गए थे। बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद 1770 में भीषण अकाल पड़ा। बावजूद इसके अंग्रेजों ने सख्ती से कर वसूली करना जारी रखा और वे धार्मिक स्थलों पर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने लगे। अंग्रेजों की इस क्रूर नीति से सन्यासी नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन करने का निर्णय लिया। सन्यासियों को इस आंदोलन में किसान, जमींदार और छोटे सरदारों का भरपूर साथ मिला। उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया।

राष्ट्र के प्रति सन्यासी आंदोलन के आंदोलनकारियों के समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन वीरों ने देश को मां और स्वयं को उसका संतान घोषित किया था। वे गुरिल्ला युद्ध करने में सिद्धस्त थे। कहते हैं कि वे सरकारी खजाने को लूट कर गरीबों में बांट देते थे। इन आंदोलनकारियों के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि इन लोगों ने अंग्रेजों की कई कोठियां भी छीन कर बहुत से अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और आखिरकार बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल हो पाए थे।

लंबे समय तक चले सन्यासी आंदोलन ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था और इस आंदोलन की अगुवाई गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने की थी।

धर्म–जाति के बंधनों से मुक्त था फकीर आंदोलन

बंगाल के घुमंतू मुसलमानों के एक समूह ने अंग्रेजों के खिलाफ उस समय आंदोलन का बिगुल फूंका था और उसके शासन को चुनौती देने का खतरा मोल लिया था, जब ऐसा करना कोई जोखिम मोल लेने से कम नहीं था। बावजूद इसके, फकीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरूआत की और उन्हें कड़ी टक्कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर उठकर सभी लोगों ने फकीरों का साथ दिया था और आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन में शामिल फकीरों में से अधिकतर लोग सूफी परंपराओं से प्रभावित थे। फकीर समुदाय, मदारी और बरहाना जातियों के थे, जो मुगल काल में ही बंगाल और बिहार के अनेक हिस्सों में बस गए थे। ब्रिटिश राज्य में बंगाल का विलय करने के बाद विरोध स्वरूप 1776-77 ई० में मजनू शाह के नेतृत्व में फकीर विद्रोहियों ने अंग्रेजी हुकूमत के समर्थक स्थानीय किसानों व जमींदारों से धन की वसूली शुरू कर दी। इस कार्य में बंगाल के पठानों, राजपूतों और सेना के पूर्व सैनिकों ने फकीरों को सहयोग दिया और कई हिन्दू नेताओं ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। बाद में चल कर इस आंदोलन के समर्थकों ने हिंसक गतिविधियां शुरू कर दीं। अंग्रेजी फैक्ट्रियों और सैनिक साजो-सामान के अड्डों पर हमला करने लगे। ऐसे में अंग्रेजों ने मजनू शाह की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयास किए और कैप्टन जेम्स रेनल ने एक मुठभेड़ में मजनू शाह को पराजित कर दिया। मजनू शाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन की बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली और उसने अपनी गतिविधियों का विस्तार बंगाल के उत्तरी जिलों तक किया। इस आंदोलन का प्रभाव लंबे समय तक रहा। हालांकि, ब्रिटिश सेना ने इस आंदोलन को कठोरतापूर्वक दबा दिया।

कर वसूली के खिलाफ चेरो जनजाति का आंदोलन

झारखंड राज्य के पलामू में चेरो जनजाति ने ज्यादा कर वसूली और पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ई. में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। कहा जाता है कि अंग्रेज 1700 ई. से ही पलामू के दुर्ग पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना संभव नहीं हो पाया। बाद में अंग्रेजों ने किसी तरह वहां कब्जा कर लिया और उसने वहां एक ऐसा शासक नियुक्त कर दिया जो उनके पक्ष का था। धीरे-धीरे उस राजा के खिलाफ स्थानीय लोगों के मन में असंतोष पनपने लगा और 1800 में चेरो ने अंग्रेजों के खिलाफ खुल कर विद्रोह कर दिया। कई साल तक चेरो विद्रोही अंग्रेजों को छकाते रहे। पलामू की चेरो जनजाति पहले भी वहां अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करती रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने मजबूती से मोर्चा संभाला था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के हरसंभव प्रयास किए, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए छल-कपट एवं चालाकी का सहारा लिया। आखिरकार, भूखन सिंह को अंग्रेजों ने

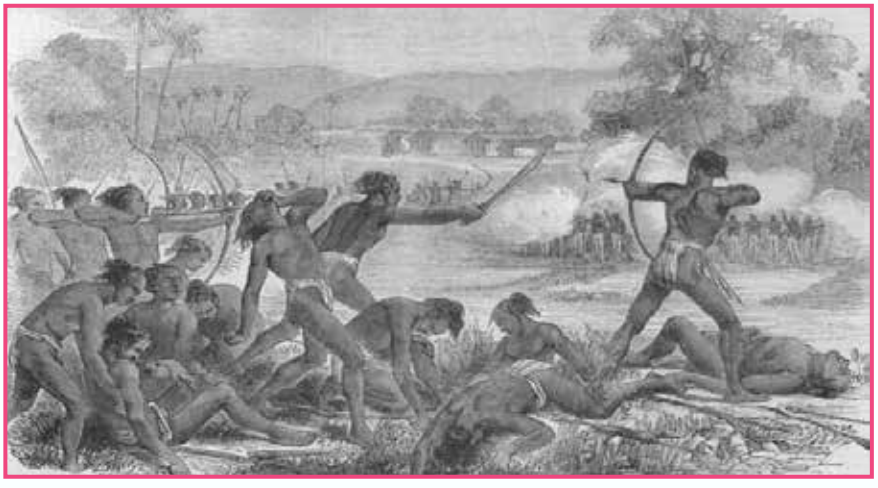

पकड़ लिया और उन्हें 1802 में फांसी दे दी। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोंस द्वारा किया गया। विद्रोह दमन के बावजूद यहां पर असंतोष बना रहा और अंग्रेजों को छिटपुट तरीके से चुनौती मिलती रही। इस विद्रोह के कारण 1809 ई. में ब्रिटिश सरकार ने छोटानागपुर में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। 1814 में पलामू परगने की नीलामी की आड़ में अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया एवं शासन का दायित्व भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया। अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ 1817 में एक बार फिर जनजातीय सहयोग से विद्रोह किया गया, लेकिन इसे भी दबा दिया गया। चेरो जनजाति ने ज्यादा कर वसूली और पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ई. में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था और इस विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था।

मालगुजारी बंद कर पाड्यगारों ने दी आधीनता को चुनौती

अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व दक्षिण भारत में पाड्यगारों ने भी आंदोलन कर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। 1801 से लेकर 1805 तक चले इस आंदोलन का नेतृत्व कट्टबोम नायकन नामक पाड्यगार ने किया था। इसका प्रमुख केंद्र तमिलनाडु था। दरअसल, पाड्यगार दक्षिण में किलों के अधिपति को कहा जाता है। पाड्यगारों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को नकार कर अंग्रेजी कंपनी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को मालगुजारी देना भी बंद कर दिया। मालगुजारी बंद होना अंग्रेजों को भला कैसे बर्दाश्त हो सकता था। अंग्रजों ने दमनकारी नीति अपनाई तो कट्टबोम नायकन के नेतृत्व में पाड्यगारों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने काफी संख्या में अंग्रेजों को मार गिराया। साथ ही, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि कट्टबोम नायकन एक अलग तरह के योद्धा थे, जो आम लोगों की काफी सहायता करते थे। यही कारण है कि वह लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे और अंग्रेजों की आंखों में खटक रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और धोखे से कट्टबोम को पकड़ लिया। कहा जाता है कि जनता को डराने के लिए अंग्रजों ने कट्टबोम नायकन को लोगों के सामने ही फांसी दे दी थी। कट्टबोम नायकन के नहीं रहने से यह आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने 1806 में इसे पूरी तरह से दबा दिया।

1801 से लेकर 1805 तक चले इस आंदोलन का नेतृत्व कट्टबोम नायकन नामक पाड्यगार ने किया था और इसका प्रमुख केंद्र तमिलनाडु था।

1806 में वेल्लोर में सिपाहियों ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह

इस घटना का अंग्रेजों ने क्रूरता के साथ बदला लिया और कहा जाता है कि वहां मौजूद कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अंग्रेजों ने कई सैनिकों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया।

जब-जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात चलती है, तब-तब 1857 को आजादी की लड़ाई का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उससे 51 साल पहले भी भारतीय सिपाहियों का एक वैसा ही विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 1806 में वेल्लोर में हुआ था जिसने 1857 ई. की क्रांति में अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को जगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वेल्लोर में हुए विद्रोह का तात्कालिक कारण भी 1857 के संग्राम से मिलता-जुलता ही था।

दरअसल, अंग्रेजों ने एक नया ड्रेस कोड लागू कर दिया जिसमें हिंदुओं को तिलक-टीका लगाने और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस घटना से सेना में शामिल हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के सैनिकों की भावनाएं आहत हुईं। इन परिवर्तनों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कुछ प्रदर्शनकारी सैनिकों को वेल्लोर किले से सेंट जॉर्ज किले भेज दिया गया और अन्य पर 90-90 कोड़े बरसाए गए। इन अनुचित और आक्रामक परिवर्तनों के साथ-साथ, किले के अंदर असंतोष की किसी भी आवाज को निर्दयता से दबा देने के कारण, वेल्लोर विद्रोह भड़क उठा। इस घटना के विरोध में सिपाहियों ने 1806 में विद्रोह कर दिया था। तमिलनाडु के वेल्लोर किले में हुए सैनिकों के इस विद्रोह में लगभग 200 अंग्रेज मारे गए थे या घायल हुए थे। यह विद्रोह सिर्फ एक दिन का था और यह घटना 10 जुलाई, 1806 को घटी थी।

इस घटना का अंग्रेजों ने क्रूरता के साथ बदला लिया और कहा जाता है कि वहां मौजूद कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अंग्रेजों ने कई सैनिकों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान करीब 100 आंदोलनकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। इस विद्रोह को 200 साल पूरा होने पर 2006 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। कहा जा सकता है कि वेल्लोर किले के सैनिकों ने अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध पहली लड़ाई लड़ी थी और असंतोष के शुरूआती बीजों के उगने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की थी। करीब 800 क्रांतिकारियों की सामूहिकता वाले इस विद्रोह ने अंग्रेजी सत्ता को जड़ से तो हिला कर रख ही दिया था। ●

आज़ादी का अमृत महोत्सव

www.pfcindia.com

पीएफसी अब है

महारत्न

एक सीपीएसई के लिए सर्वोच्च सम्मान

फॉर्ब्स ग्लोबल 2021 के अनुसार, परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व में
365वीं रैंक

₹56,000 करोड़
से अधिक की नेट वर्थ

वित्तीय वर्ष 2020–21 में अब तक का सर्वाधिक
₹8,444 करोड़
का निवल लाभ

उत्पाद एवं सेवाएं

परियोजना सावधि ऋण | ऋण पुनर्वित्तपोषण | ई–मोबिलिटी
नवीकरणीय ऊर्जा | सरकार की पहलों के लिए वित्तपोषण

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक महारत्न कंपनी)

हमें फॉलो करें /pfclindia

उज्ज्वल कल के लिए वित्तपोषण

RNI Regd. No. DELHIN/2007/20953